स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वार्षिक लेखा
2018 - 2019

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–५०० ०३०
www.nirdpr.org.in

वार्षिक लेखा
2018 – 2019

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

विषय सूची

क्रम सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1.	एनआईआरडी एवं पीआर लेखा	1	18
2.	हितकारी निधि लेखा	18	20
3.	भविष्य निधि लेखा	21	23
4.	एनआईआरडी पीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	24	26
5.	लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	27	30
6.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	31	35
7	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर	36	41

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियॉ	चालू वर्ष 2018-19 (₹)	पिछले वर्ष 2017-18 (₹)	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19 (₹)	पिछले वर्ष 2017-18 (₹)
प्रारंभिक बैंक / नकद शेष	**1835420447**	**2694763580**	**अन्.1 पूंजी लेखा**		
			पूंजी अनुदान	100182398	126284829
अन्.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष			**अन्.2 आरक्षितताएं एवं अधिशेष**		
अन्.3 चिन्हित निधि			**अन्.3 चिन्हित निधि**		
भवन निधि	10591059	9217458	भवन निधि	0	620
संचित निधि	263420556	169182435	संचित निधि	32455	738
विकास निधि	11627307	1068141	विकास निधि	0	47569
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	890527404	2356790560	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	856569545	1759576567
			पूंजी अनुदान - योजना	106119929	0
एमओआरडी से प्राप्त अनुदान सहायता	721724600	500000000			
अन्.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			**अन्.4 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**		
परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	9	0	परामर्शी परियोजनाएं - एनआईआरडी	0	13040
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	5671636	27466177	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	7140245	27496822
परामर्शी देयताएं	3465112	1115524	परामर्शी देयताएं	2428396	2936823
देयताएं एवं प्रावधान	67337264	66123543	देयताएं एवं प्रावधान	125897244	121739302
पारगमन लेखा	100234374	84222510	पारगमन लेखा	94406801	84041943
अंतरण लेखा	174648923	490109331	अंतरण लेखा	199490381	379479048
परामर्शी - ब्याज	0	2486012	परामर्शी - ब्याज	0	1207189
अन्. 5 अचल आस्तियां			**अन्. 5 अचल आस्तियां**		
पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	36942	8132	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	10006387	10463279
पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	1690	1690	पी0014 पी-भवन एवं अन्य निर्माण कार्य - एनईआरसी	1676799	0
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	1137077	420465	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	10239971	12402586
			पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती - एनईआरसी	672796	576757
			पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती	860532	426868
			पी0021 पुस्तकालय अनावर्ती - एनईआरसी	135958	83682
			आरटीपी आस्तियां	1885012	2941158
			कार्य प्रगति पर - भवन	0	5516040
			वाहन	0	11441739
			सामान्य डब्ल्यू.आई.पी.	1098294	0
अन्.6 निवेश			**अन्.6 निवेश**		
सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	9000000	0	सावधि जमाओं में निवेश परामर्शी	10412000	0
सावधि जमाओं में निवेश सामान्य	1544640217	0	एस0005 एस-सावधि एवं लघु अवधि जमा लेखा	1700845452	729754192
निवेश - चिह्नित निधि से	1975834804	343625691	निवेश - चिह्नित निधि से	2355103832	1250900226
अन्.7 वर्तमान आस्तियां			**अन्.7 वर्तमान आस्तियां**		
जमा (आस्तियां)	0	0	जमा (आस्तियां)	38029178	10833333
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	937452	1010449	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	2702965	554169
परामर्शी आस्तियां	65979	0	परामर्शी आस्तियां	124800	11400
वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	12630779	9284617	वर्तमान आस्तियां एवं अग्रिम	15459042	11736088
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	121022282	1568148796	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	106082338	1564822092

प्राप्तियॉ	चालू वर्ष 2018-19 (₹)	पिछले वर्ष 2017-18 (₹)	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19 (₹)	पिछले वर्ष 2017-18 (₹)
प्रत्यक्ष व्यय			**प्रत्यक्ष व्यय**		
स्थापना व्यय			**स्थापना व्यय**		
वेतन - शैक्षिक	434010	34075	वेतन - शैक्षिक	127660095	85685997
वेतन - गैर शैक्षिक	243001	417128	वेतन - गैर शैक्षिक	183589245	189347404
स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	75725	274052	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	12982658	9591093
स्वास्थ्य क्लब	178774	166675	स्वास्थ्य क्लब	1870067	1120287
अवकाश वेतन और पैंशन योगदान	333145	1092155	अवकाश वेतन और पैंशन योगदान	1915163	648334
भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	617	0	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	9303363	3795683
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1818231	916962	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	121764024	117668927
अन्य प्रशासनिक व्यय			**अन्य प्रशासनिक व्यय**		
यात्रा भत्ता	326830	1483628	प्रादेशिक सेना	6423034	9178551
अन्य प्रभार - आवर्ती	5201128	3703538	अन्य शुल्क - आवर्ती	106348206	104128287
बीवीबीवी / शिशु सदन आदि के लिए अनुदान	0	2136823	बीवीबीवी / क्रेच आदि को अनुदान	420715	184308
			बैंक प्रभार	8805	51784
क्रियाकलाप			**क्रियाकलाप**		
प्रशिक्षण कार्यक्रम	409232	1003844	प्रशिक्षण कार्यक्रम	24057353	25462586
प्रकाशन	236960	6651	प्रकाशन	3758958	5963597
कार्य अनुसंधान	648414	126490	कार्य अनुसंधान	1597372	1410945
संकाय विकास	61810	140201	संकाय विकास	1254016	2044128
संपर्क	788153	1224629	संपर्क	13424559	14050843
ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	3587184	1953180	ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क	24931916	20888743
अनुसंधान	661253	2730624	अनुसंधान	16417183	25075160
पुस्तकालय आवर्ती	27419	0	पुस्तकालय आवर्ती	1348391	4091748
सेमिनार एवं सम्मेलन	115665	726592	सेमिनार एवं सम्मेलन	9623612	9341751
पीजीडीआरडीएम	719444	88973	पीजीडीआरडीएम	19233567	17635917
डीईसी कार्यक्रम		88425	डीईसी कार्यक्रम	2580583	3343432
अप्रत्यक्ष आय			**अप्रत्यक्ष आय**		
पत्रिकाओं के लिए अंशदान	251688	255983	पत्रिकाओं के लिए अंशदान	11500	6840
एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	76165	22075	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	750	0
डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	1357237	4654259	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	9800	16900
पीजीडीआरडीएम से शुल्क	27979917	22467604	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	600	184000
वाहनों की किराया	653312	562032	संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	6937245	42464
संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	130215043	178239769	बचत बैंक खाते पर ब्याज	0	372844
ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	678472	690861	लाइसेंस शुल्क		490
बचत बैंक खाते से ब्याज	20655544	19629740	विविध प्राप्तियां	48149	3653289
एन 0009 - जमा पर ब्याज - बिजली विभाग	0	198375	स्थल कार्यक्रम	653952	647326
लघु एवं दीर्घावधि जमाओं पर ब्याज	151815010	4504813			
लाइसेंस शुल्क	4632934	4178428			
विविध प्राप्तियां	5456995	25276503			
			अंत: बैंक / नकद शेष	**1664841300**	**1835420446**
कुल	**8109615225**	**8604040198**	**कुल**	**8110618930**	**8606342201**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

डब्ल्यू रामपुल्ला रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

	विवरण	अनु. संदर्भ	31-मार्च-2019 रू.	31-मार्च-2018 रू.
	पूंजी एवं देयताएं			
I	पूंजी निधि	अनु.1	910212453	557390551
	आरक्षित एवं अधिशेष	अनु.2	0	0
	निर्धारित निधियां	अनु.3	4836096936	4730442383
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	अनु.4	523501448	527118974
		कुल योग	**6269810837**	**5814951908**
II	**आस्तियां**			
	अचल आस्तियां	अनु.5	329732999	187420083
	सीपीजीएस आस्तियां	अनु.5	8612	10132
	निवेश	अनु.6	4096227258	3599539341
	चालू आस्तियां	अनु.7	1843841967	2027982353
		कुल योग	**6269810836**	**5814951908**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

डब्ल्यू. रामपुल्ला रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

		अनु.	31-मार्च 2019	31-मार्च-2018
			रू.	रू.
	आय			
I	अनुदान	8	705482371	483637797
II	**अन्य आय**			
	बिक्री / सेवाओं से आय	9	5795341	6484763
	शुल्क / अंशदान	10	29566942	32502184
	निवेशों से आय	11	119402003	33410195
	अर्जित ब्याज	12	641408	921639
	अन्य आय	13	215179497	235717954
	कुल		**370585191**	**309036735**
	कुल योग		**1076067562**	**792674532**
III	**व्यय**			
	स्थापना व्यय	14	547463343	420599113
	अन्य प्रशासनिक व्यय	15	101739163	97710821
	क्रियाकलाप	16	100001908	121428927
	कुल		**749204414**	**639738861**
IV	मूल्यह्रास	5	25758495	51171057
V	स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	17	(1922365)	1582216
VI	**व्यय पर आय की अधिकता**	18	303027018	100182398
	कुल योग		**1076067562**	**792674532**
	जोड़े: पूर्व अवधि मद		2713740	61901518
	कम: पूर्व अवधि मद		3927347	0
	पूर्व अवधि समायोजन के पश्चात तुलन पत्र पर लाया गया निवल आय		**301813411**	**162083917**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

डब्ल्यू. आर. रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु.1	विवरण	संदर्भ सं.				31-मार्च-2019(₹)	31-मार्च-2018(₹)
अनु.1	**संचित / पूंजी निधि**						
	पूंजी निधि - सामान्य					889542436	538605546
	पूंजी निधि - आरटीपी					20670017	18785005
	वर्ष के अंत में शेष					910212453	557390551
अनु.2	**आरक्षित एवं अधिशेष**						
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)						
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार						
	कुल					-	-
अनु.3	**चिह्नित निधियां**						
			प्रारंभिक शेष	**जोडे**	**उपयोग**	**अंत:शेष**	
	i. पूंजीगत अनुदान - योजना		610225454	19514596	135323746	494416304	610225454
	ii. भवन निधि		245706912	28555905	6583668	267679149	245706912
	iii. संचित निधि		1953358774	310952512	87066416	2177244869	1953358774
	iv. विकास निधि		83933066	15603770	5666111	93870725	83933066
	v.परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	एल L3	1837208047	1114075609	1148406379	1802877277	1837208047
	vi.सीपीजीएस आस्तियां		10132	0	1520	8612	10132
	कुल		**4730442383**	**1488702392**	**1383047840**	**4836096936**	**4730442383**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		समूह संदर्भ	31-मार्च-2019 (₹)	31-मार्च- 2018(₹)
अनु.4	**चालू देयताएँ और प्रावधान**			
	परामर्शी परियोजना	एल4	41723543	45225734
	परामर्शी देयताएं	एल5	3544096	2807887
	देयताएं और प्रावधान	एल6	380059383	351727663
	पारगमन लेखा	एल7	8204672	1363231
	अंतरण लेखा	एल8	88944308	124969014
	अंतरण लेखा (परामर्शी)	एल8	1025446	1025446
	कुल		**523501448**	**527118974**
अनु.6	सावधि जामओं में निवेश - परामर्शी		10412000	9000000
	सावधि जामओं में निवेश - सामान्य	ए6	1464374442	1307287866
	सावधि जामओं में निवेश - चिह्नित निधि से	ए6	2621440816	2283251475
	कुल		**4096227258**	**3599539341**
अनु.7	चालू आस्तियां और अग्रिम	ए4	103831941	124381162
	सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा	ए4	446959	2321001
	ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	ए4	5101319	3267250
	जमा (परिसंपत्ति)	ए5	26505418	18998703
	पारगमन लेखा	ए7	1795757	18616
	परामर्शी परिसंपत्ति	ए8	7327055	7957371
	अंत:शेष सामान्य लेखा	ए9	1634648763	1803319370
	अंत:शेष परामर्शी लेखा	ए10	30192537	32101076
	अंतरण लेखा	ए11	33992218	35617804
	कुल		**1843841967**	**2027982353**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां
अनुसूचियां 5: अचल आस्तियां

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास दर	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड		बट्टे खाते में डाला हुआ मूल्य	वर्ष के दौरान जोड	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	घटाना	कुल	31-मार्च-19	31-मार्च-2018
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
				> 180 days	<180 days									
1	भूमि	0%	7214857	100459312	0	0	100459312	107674169	0	0	0	0	107674169	7214857
2	भूमि विकास	0%	598266	0	0	0	0	598266	0	0	0	0	598266	598266
3	भवन	10%	243722415	7681217	0	0	7681217	251403632	215400254	3600338	0	219000592	32403040	28322161
4	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	41760396	1941855	1626296	0	3568151	45328547	31225365	1329003	0	32554368	12774179	10535031
5	कार्यालय उपकरण	15%	57055043	348448	525818	0	874266	57929309	52861105	720794	0	53581899	4347409	4193938
6	कंप्यूटर	40%	105556130	1852736	1169032	0	3021768	108577898	101947286	2418438	0	104365725	4212174	3608844
7	वाहन	15%	26705984	0	0	0	0	26705984	16337422	1555284	0	17892706	8813278	10368562
8	कटलरी, क्रॉकरी और भोजन कक्ष उपकरण		2776330	0	0	0	0	2776330	2776329	0	0	2776329	1	1
9	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	63043903	851439	347900	0	1199339	64243242	39028034	3756189	0	42784222	21459019	24015869
10	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	10776932	39200	366560	0	405760	11182692	5775983	783514	0	6559497	4623195	5000949
11	स्वास्थ्य क्लब	15%	1535334	0	79768	0	79768	1615102	970803	90662	0	1061465	553637	564531
12	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	27301730	654252	302213	0	956465	28258195	26752003	542034	0	27294038	964158	549727
13	आरटीपी आस्तियां		61863333	992824	892188	0	1885012	63748345	56909657	1175776	2713740	55371693	8376652	4953676
14	एनईआरसी आस्तियां		14312954	4145718	105982	0	4251700	18564654	9332446	1444208	0	10776654	7788000	4980508
15	भवन निधि													
	भवन	10%	207971438	3519453	7855303	0	11374756	219346194	134177563	8124098	0	142301661	77044533	73793875
	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	17449073				0	17449073	15994705	218155	0	16212860	1236213	1454368
16	संपूर्ण	15%						0	0	0		0	0	0
	कुल		889644118	122486454	13271060	0	135757514	1025401632	709488955	25758495	2713740	732533710	292867921	180155163
16	सी-गार्ड आस्तियां		37910355	0	0	0	0	37910355	37910354	0	0	37910354	1	1
17	सीपीजीएस आस्तियां	15%	2314805	0	0	0	0	2314805	2304673	1520	0	2306193	8612	10132
	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर		7264920	35766783		7264920	35766783	35766783	0	0	0	0	35766783	7264920
	सामान्य कार्य प्रगति में			1098294		0	1098294	1098294	0	0	0	0	1098294	0
	आरटीपी कार्य प्रगति में		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग		937134198	159351531	13271060	7264920	171524297	1102491869	749703982	25760015	2713740	772750257	329741611	187430215

नोट : भूमि पर विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखे

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु. 8	अनुदान / उपदान	31-मार्च-2019 (₹)	31-मार्च-2018 (₹)
	वेतन	521724600	400000000
	सामान्य	183757771	83637797
	कुल	**705482371**	**483637797**
अनु. 9	**बिक्री / सेवाओं से आय**		
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	85137	71579
	लाइसेंस शुल्क	4631897	4196475
	वाहनों का किराया	728554	562032
	स्थल कार्यक्रम	349753	1654677
	कुल	**5795341**	**6484763**
अनु. 10	**शुल्क / अंशदान**		
	पत्र पत्रिकाओं का अंशदान	240188	249143
	पीजीडीआरडीएम से शुल्क	27979317	27615682
	डीईसी कार्यक्रमों से शुल्क	1347437	4637359
	कुल	**29566942**	**32502184**
अनु. 11	**निवेशों से आय**		
	लघु और दीर्घावधिक जमा पर ब्याज	119402003	33410195
	एसबी खाते पर ब्याज	0	0
	कुल	**119402003**	**33410195**
अनु. 12	**अर्जित ब्याज**		
	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	641408	921639
	कुल	**641408**	**921639**
अनु. 13	**अन्य आय**		
	विविध प्राप्तियां	9849887	31176801
	संस्थागत / सम्मेलन कक्ष प्रभार / संकाय लागत / अन्य	205329610	204541153
	कुल	**215179497**	**235717954**
अनु. 14	**स्थापना व्यय**		
	वेतन - शैक्षिक	137955295	87675398
	वेतन - गैर शैक्षिक	186250286	190769649
	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	198237253	124859155
	उप-कुल	**522442834**	**403304202**
	स्वास्थ्य केंद्र आवर्ती	12174228	10411584
	स्वास्थ्य क्लब	1665282	967386
	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	2478573	1000010
	भविष्य निधि के लिए संस्थान का योगदान	8702426	4915931
	कुल	**547463343**	**420599113**

अनु. 8	अनुदान / उपदान	31-मार्च-2019 (₹)	31-मार्च-2018 (₹)
अनु. 15	**अन्य प्रशासनिक व्यय**		
	यात्रा भत्ता	6167310	7948152
	अन्य शुल्क - आवर्ती	95131138	89583361
	बीवीबीवी / शिशुसदन आदि को अनुदान	440715	179308
	कुल	**101739163**	**97710821**
अनु. 16	**क्रियाकलाप**		
	प्रशिक्षण कार्यक्रम	22860571	25768848
	प्रकाशन	3211735	6307122
	कार्य अनुसंधान	1079643	1301530
	संकाय विकास	1052070	1988431
	संपर्क कार्यक्रम	6740924	12253280
	आर टी पी	19451277	18649123
	अनुसंधान	14120309	20914299
	पुस्तकालय आवर्ती	1597347	4793010
	सेमिनार और सम्मेलन	9113509	9313818
	पीजीडीआरडीएम	18196844	16911604
	डीईसी कार्यक्रम	2577679	3227863
	कुल	**100001908**	**121428927**
अनु. 17	**स्टॉक में वृद्धि / (घटाव)**		
	अंत: स्टॉक	9245113	7322748
	आरंभिक स्टॉक	7322748	8904964
	निवल वृद्धि / (घटाव)	**(1922365)**	**1582216**
अनु. 5	**मूल्यह्रास**		
	पंजीगत आस्तियों पर मूल्यह्रास	25758495	51171057
	कुल	**25758495**	**51171057**
अनु. 18	**आईजीआर और अनुदान की कमी की पुनर्भुगतान**		
	कुल आईजीआर (अनु. 9,10,11,12 और 13)	373298930	309036735
	घटाव:		
	7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग प्रभाव के 30% के प्रति व्यय	35039683	15900600
	शेष आईजीआर	338259247	293136135
	आईजीआर से पुन: प्राप्त अनुदान की कमी	36445837	192953736
	निवल आईजीआर	**301813411**	**100182398**

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
अनुसूची	**(एल 3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान**		
	सीगार्ड परियोजनाएं		
1	सी1713 जीआईएस जीपीएस एवं कुल स्टेशन सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी	166302	194000
2	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	156290	225000
3	पी0044 एपीआईबी परियोजना (जीसी)	0	451163
4	एस1611 डीएससीढब्ल्यूडी भुवनेश्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम	68794	66148
5	एस1612 मडागास्कर में सी-गार्ड केंद्र की स्थापना	6982776	7731714
6	पी1614 पीसीडी भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम	(170473)	(156107)
7	एस1701 पीएमजीएसवाई पर एसटीपी - एनआरआरडीए	6055449	3107371
8	एस1713 भू -आईसीटी तकनोलॉजी आधारित उचित विकास पहल	157365	153412
9	एस1720 गुणवत्ता पर सीसी सड़कों का थर्ड पार्टी मूयांकन	545999	5200000
10	एस1721तेहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	8054690	10000000
11	एस1722 आन्ध्र प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाईब्रेरी जनरल और तुलना (एसएसी इसरो)	347579	500000
12	एस1805 ग्रामीण सड़क परियोजना पीजीजीएसवाई में भू-संसूचना	13152210	0
13	एस2060 एकीकृत भूमि और जल संसाधन संरक्षण	0	211
14	एस2067 जलागम के लिए निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन (जीसी)	0	4127564
15	एस2068 ग्रामीण विकास के लिए एसडीएसएस (जीसी)	0	(43867)
16	एस2069 सी-गार्ड एनआईआरडी (जीसी)	0	3339
17	एस2105 रालेगांव सिद्धी में सी-गार्ड	0	386
18	एस2106 सीडैप - कृषि विभाग	0	51810
19	एस2138 4 जीआईएस केन्द्रों का गठन (सी-गार्ड)	0	1808172
20	एस2179 राज्य स्तर कार्यशाला -एसएपी देहरादून	0	10402
21	एस2184 जीआईएस - जलागम एम एवं ई	0	(1372087)
22	एस2191 डाका में सिर्डाप आईसीटी की स्थापना	4522607	4365358
23	एस2345 सी-गार्ड परियोजना पबंधन प्रभार	0	526384
24	एस2391 ग्रामीण भारत के ऊर्जा संतुलन का अध्ययन - इसरो	758118	728960
25	एस2431 केरल के लिए जीआईएस प्लैटफार्म पर ग्रामीण सडक	0	(189265)
26	एस2537- एपीआईबी - उत्तराखंड (उन्नयन)	353025	(66038)
27	एस2554 पीएमकेएसवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी-गार्ड)	0	2173423
28	एस2557-ईडीपीआर एवं पीएमकेएसवाई की जियोहाईड्रालजी	(310181)	290420
29	एस2560 बिज्जू केवीके परियोजना, ओडिशा सरकार	(578860)	180232
30	एस2567 पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय कार्यशाला (सी-गार्ड)	196200	210144
31	एस2568 ग्रामीण सडकों में स्पेस तकनोलॉजी का अनुप्रयोग - सी-गार्ड	(118178)	(331824)
32	एस2571 ओडब्ल्यूडीएस ओडिशा द्वारा प्रायोजित पीएमकेएसवाई के तहत डीआईपी	979788	963479
33	एस2578 पीएमजीएसवाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	131803
34	एस2581 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	56362580	54478745
35	एस2583 इसरो द्वारा ईपीआरआईएस परियोजना	1484416	1909017
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
36	एस2099 एसजीएसवाई बीपीएल युवा होशंगाबाद -एमपी- एआईएसईसीटी	50	50
37	एस2233 एनआरओ -डीडीयू जीकेवाई	15751417	17679923
38	एस2337मंथन ग्रामीण एवं समाज सेवा समिति-भोपाल	0	(106346)
39	एस2363 कोर शिक्षा एवं टेकनोलॉजी लिमिटेड (एसजीएसवाई)	400000	400000
40	एस2365 सुनील हाईटेक इंजीनियर्स लिमिटेड (एसजीएसवाई)	0	0
41	एस2381 श्री शक्ति एसोसिएशन (एसजीएसवाई/एएसडीपी)	(54837)	9386290
42	एस2441 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6983	6983
43	एस2451 अरोह फाऊंडेशन - रोशिनी (झारखंड)	0	(6102)
44	एस2496 आईसीए इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	0	23338254
45	एस2500-इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (असम-एएस)	(673896)	0
46	एस2546 आईआईएसडी (असम)	(710)	(710)
47	एस2564 आईएल एवं एफएस 4 (हिमायत 2016)	0	697366
48	एस2573 मेसर्स डॉनबास्को टेक-हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखे)	0	(9250)
49	एस2574-मेसर्स कैप फाऊंडेशन - हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखे)	(5846)	0
50	एस2575-मेसर्स मास इन्फोटेक सोसायटी लिमिटेड-हिमायत (जम्मू-कश्मीर देखे)	(1871)	0
	सामान्य		
51	एस1603 अति शोषित क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन	0	(685171)
52	सी1601 सामरिक संचार के लिए यूनिसेफ संस्थागत तंत्र	0	121606
53	एस2527 सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	1521321	(1490228)
54	सी1602 प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन निरिडा नलगोंडा	0	(50426)
55	सी1603 ईपीएसआरसी	0	(90955)
56	सी1604 बहु क्षेत्रीय - यूएन महिलाएं	141139	(363597)
57	सी1605 क्रक्स सीजीजीपीए जुलाई 16	0	538393
58	सी1701 एनएमडीसी इईवीडी के सीएसआर पहल	702845	744603
59	सी1702 कृषि अध्ययन केन्द्र का ईपीओ कक्ष	(810778)	116237

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
60	सी1703 शौचालय निर्माण का लेखापरीक्षा करते हुए सीएसआर थर्ड पार्टी	265896	316413
61	सी1704 सीएसआर गतिविधियों पर मूल्यांकन रिपोर्ट	187938	180710
62	सी1707 एपीओ सिर्डाप आर्डो	0	122114
63	सी1708 कृषि उद्यमिता कार्यक्रम (बीआरएलपीएस)	382111	367414
64	सी1709 कृषि उद्यमिता एपी - एसईआरपी	7457671	150552
65	सी1710 महाराष्ट्र में एसएफएसी एफपीओ का प्रशिक्षण	323104	61100
66	सी1711 नीतिगत संचार आ.प्र, तेलंगाना, कर्नाटक यूनिसेफ	1676317	1388482
67	सी1712 कार्यशाला सामाजिक मानदंड जानकारी हब -यूनिसेफ	25476	150000
68	सी1714 एसएचजी - बैंक संयोजन कार्यक्रम नाबार्ड	(684177)	214107
69	सी1715 राष्ट्रीय स्वच्छता संसाधन केंद्र	(127781)	2231444
70	सी1717 स्वैट शौचालय की उपयोगकर्ता इंटरफेस को पर्याप्त बनाने के लिए स्वैट परीक्षा	0	66504
71	सी1718 एपी में क्षेत्र विकास कार्यक्रम में स्नातक मॉडल का प्रभाव	116742	0
72	सी1719 पोषण मूल्यांकन को सुधारने के लिए कीस ओल्ड ब्लैक बाक्स - विकास पद्धतियां	957523	1384743
73	सी1720 वास्मो प्रशिक्षण समुदाय आधारित जल	0	279830
74	सी1801 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	(900985)	0
75	सी1803 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कर्नाटक राज्य	(41789)	0
76	सी1807 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	320600	0
77	सी1810 मूल्यांकन कृषि उद्यमिता कार्यक्रम	(227245)	0
78	सी1811 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय कॉन्क्लेव	(269091)	0
79	सी1812 जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल की तसरी पार्टी मूल्यांकन	90485	0
80	सी1814 आईएमएमएएनए प्रसार कार्यशाला	163029	0
81	सी1815 शौचालय रखरखाव पर सीएसआर एनएलसीआईएल 2018 लेखा परीक्षा	518497	0
82	सी1816 सीएसआर - सैनिटरी नैपकिन टीएस पर जागरूकता टीएस (बीडीएल)	5030381	0
83	एस0073 कार्य अनुसंधान परियोजना	0	69198
84	एस1601 पीएमएजीवाई का मूल्यांकन (डीएसजे एवं ई)	990803	1005886
85	एस1602 संचालन भारत पंचायत आईपीकेपी	9244462	484857
86	एस1604 जीपी और गांवों के लिए विकास सेवाओं पर आर.एस.	543920	527620
87	एस1605 उन्नत भारत पर सीएचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	4074129
88	एस1606 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का सीबी प्रशिक्षण	5469177	5557951
89	एस1607 उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन पर अध्ययन मनरेगा	58651	541523
90	एस1608 ई-सक्षम द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत का रूपांतरण	96211368	4538859
91	एस1609 ईटीपी पर मनरेगा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	246231	257133
92	एस1613 दूसरा क्षमता निर्माण और भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	(408660)
93	एस1615 एकीकृत कार्य योजना, ओडिशा सरकार	(263919)	148235
94	एस1702 असम के नए विकसित बीडीओ के लिए सर्वोत्तम अभ्यास	0	70392
95	एस1703 निर्वाचित महिलाओं का क्षमता निर्माण असम	(257956)	(223471)
96	एस1704 आईआईटी दिल्ली	0	185007
97	एस1705 आरटीपी परियोजनाएं	7411157	1633435
98	एस1706 पीईएस अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यशाला (सीपीआर)	0	(343779)
99	एस1707 आरडी में जेंडर बजटिंग राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम - 2	0	359015
100	एस1708 आईपीआरपी और लेखा परीक्षकों को एसटीपी (एनआरएलएम)	366743	2150732
101	एस1709 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	1003452	647983
102	एस1710 गरीबी और असमानता एनएसएसटीए	0	228316
103	एस1711 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एण्ड टी	2936711	12000000
104	एस1712 एमकेएसपी परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन	283024	2646552
105	एस1714 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	1683007	3005000
106	एस1716 सतत विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन	0	(951124)
107	एस1718 विज्ञान फिल्म निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला	0	34250
108	एस1719 राष्ट्रीय कार्यशाला गठन जीपीडीपी	0	(411850)
109	एस1725 पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियां निकोबार	271208	0
110	एस1726 सतत ग्रामीण विकास के लिए भू जलवायु आधारित नवोन्मेषण	297661	894500
111	एस1801 12 राज्यों में एससीए से लेकर एससीएसपी तक पर अध्ययन (सीपीएमई)	(1128101)	0
112	एस1802 आईईसी प्रभाग के लिए सलाहकारों की नियुक्ति	654404	0
113	एस1803-राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	1157014	0
114	एस1804 जीपीडीपी पर राष्ट्रीय कार्यशाला (सीपीआर)	235993	1214735
115	एस1806 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 एपी कर्नाटक	326427	0
116	एस1807 एपी में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	618429	0
117	एस1809 - झारखंड जेएसएलपीएस के लिए प्रेरण और मग्नता	2402114	0
118	एस1810 आरडी 01-21 अगस्त 18 पर आंतरिक लेखा परीक्षा पर सीपी	5188304	0
119	एस1812 पीआर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम	20000000	0
120	एस1813 पीएमएवाई के तहत एपीटीआईडीसीओ सामाजिक लेखा परीक्षा	(149194)	0
121	एस1814 पीआर कार्यकर्ताओं के लिए समय और कार्य अध्ययन	15359303	0
122	एस1815 राजस्थान एपी के लिए प्रशिक्षण सह अध्ययन दौरा -मनरेगा	1202156	0

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
123	एस1816 जैव विविधता शासन पर तीसरा टीओटी	961105	0
124	एस1817 एफआईई पर प्रबंधन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएफआईई)	(172895)	0
125	एस1818 जीपी में मिशन अंत्योदया पर अध्ययन -सीपीएमई	(1361954)	0
126	एस1819 5 राज्यों में एनएसएपी के तहत योजनाओं के लिए अग्रगामी सामाजिक लेखापरीक्षा का	398415	0
127	एस1820 सतत विकास में जल स्त्रोत प्रबंधन	1185429	0
128	एस1821 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रदर्शनी दौरा	1262964	0
129	एस1822 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं हैंडहोल्डिंग -सीपीआर	3094698	0
130	एस1823 जलागम परियोजना का मूल्यांकन 150एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके जिला	337081	0
131	एस1824 जलागम परियोजना का मूल्यांकन एसीए 314 एमडब्ल्यूएस -आरएलटीएपी-केबीके	566481	0
132	एस1826 अनुप्रयोग आधारभूत संरचना का विकास जीईओ-मनरेगा स्थानिक का पी एवं एम	12652471	0
133	एस1827 एसटीपी आरटीपी आरजीएसए छत्तीसगढ़ फरवरी-मार्च 2019	(85965)	0
134	एस1828 ओडीएफ सततता -स्वच्छ भातर मिशन	1238708	0
135	एस1829 जिला स्तर के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण	(601775)	0
136	एस1830 पीवीटीजी कर्मचारी 6 दिवसीय प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रम	500384	0
137	एस1831 एसएलएसीसी में सीबी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	9919452	0
138	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और रोकथाम पर कार्यशाला	2216126	0
139	एस1835 प्रत्यक्ष प्रशिक्षकों के कौशल पर टीओटी और एसटीएआरपीएआरडी का डिजाईनिंग, पश्चिम	320135	0
140	एस1836 एनईआर के IX के अलावा अन्य में क्षमता निर्माण	5056438	0
141	एस2083 आईसीडीएपी योजना तैयारी केरल	0	2389999
142	एस2103 एसआरपी राष्ट्रीय आजीविका अनुसंधान	0	(32427)
143	एस2125-आरसेटी -प्रशिक्षण प्राप्तियां / भुगतान	0	(138160)
144	एस2146 जारी निधि के उपयोग पर अध्ययन	0	(73140)
145	एस2156 बीआरजीएफ जिला जारियों पर एएमआर-अपार्ड	0	(79932)
146	एस2176 पीएमएजीवाई, सीईएसडी	0	6081461
147	एस2177 ईटीसी टीओटी -3-सीएसईआरई	0	1566382
148	एस2183 बेहतर कार्य- आईएवाई	0	1816918
149	एस2187 जलागम परियोजना 2010-11में निवेश का प्रभाव	0	1
150	एस2188 आईएवाई 2010-11 की योजना और प्रबंधन (सीआरई)	0	1255067
151	एस2189 - एसजीएसवाई पर टीओटी II एनटीएपी (सीएसईआरई)	0	965027
152	एस2191 मनरेगा के तहत विशेषज्ञ समूह	0	717695
153	एस2214 सिर्डाप 2009	0	3300
154	एस2239- सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम 2013 -14	(147145)	3345114
155	एस2313 कपार्ट-जीवीए / एनजीए (सीपीएमई)	0	80324
156	एस2314 एसआईआरडी, रांची, झारखंड का पुनर्जीवित करना	0	247875
157	एस2317-उत्थान सिंचाई स्कीम- एपीएसआईडीसी (सीएएस एण्ड डीएम) 2011	0	108629
158	एस2321 सीएसईआरई - उप खंड टीओटी -III	0	15040821
159	एस2346 आईएवाई की योजना एवं प्रबंधन - 2012-13	0	4988081
160	एस2352- एपी में एटीएमए गतिविधि का मूल्यांकन अध्ययन	0	1497834
161	एस2354-क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम - जलागम कवकास परियोजना	0	8292389
162	एस2357पीएजी	0	(3210388)
163	एस2389-अल्पसंख्यकों पर प्रधानमंत्री की नई 15 बिंदु कार्यक्रम (सीपीएमई)	0	(172995)
164	एस2398-जलागम विकास कार्यक्रम एवं आईडब्ल्यूएमपी का पूर्व मूल्यांकन (सी	0	863839
165	एस2399-नरेगा के अंतर्गत कम निष्पादन जिलों का अभिग्रहण	0	23588
166	एस2404-आरएमएसए का अनुश्रवण (ईडीसीआईएल इंडिया)	0	(326046)
167	एस2413-विश्व बैंक कार्यशाला -भू शासन	0	64903
168	एस2414-सिर्डाप डाका में सीगार्ड एवं वीएलसी की स्थापना	0	(3804943)
169	एस2415-जीआई शिक्षा को बढावा देने पर आरवीएम-एसएसए-परियोजना	0	(42)
170	एस2426-क्षमता निर्माण -एमजीएनआरईजीए (सीडब्ल्यूईपीए)	0	(27800)
171	एस2428-केरला इन्स्टिट्यूट आùफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	35116369	33889100
172	एस2475- नरेगा के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन	0	(358972)
173	एस2498-वर्जित/ गैर निष्पादक पूर्व आईडब्ल्यूएमपी पर अध्ययन	0	3441971
174	एस2502 क्षमता निर्माण पर एस टी पी - आर के वी वाई, ओडिशा सरकार	0	968727
175	एस2506 एस पी अनुदान	0	(27822)
176	एस2516 220 आईएवाई के प्रशिक्षण एवं प्रबंध के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	10485015	10081745
177	एस2518 प्रशिक्षण सह जागरुकता -नरेगा एवं आईएवाई (1-15/9/14)	0	1994861
178	एस2523 लक्ष्य	397477	518823
179	एस2524 एसएसए- टी। राज्य (2014-15)	0	19209
180	एस2529-आरकेवीवाई आ।प्र।-आरकेवीवाई परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (सीपीएमई)	0	656866
181	एस2536 राष्ट्रीय जल मिशन (3 प्रशिक्षण कार्यक्रम)	0	433848
182	एस2541 रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	11554314	31128692
183	एस2549 स्वयं स्रोत राजस्व के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला	0	280993
184	एस2551 तकनोलाùजी का अंतरण -आरटीपी-एनएफडीबी	0	476311
185	एस2552 कृषि संबंधी असंतुष्टि पर अध्ययन (सीडब्ल्युएलआर)	0	(3423)

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
186	एस2553 ओडिशा के बोलनगिर जिला में प्रवासी क्षेत्रों का अध्ययन	0	28665
187	एस2559 उपभोक्ता शिक्षा - गौतमि फाउंडेशन	0	25750
188	एस2565 यूनिसेफ -संगम परियोजना (साजीएसडी)	0	86663
189	एस2566 एनआईआरडी-जीएचएस उभरती अर्थव्यवस्थाएं प्राईवेट लिमिटेड (साजीएसडी)	0	436084
190	एस2569-आईएसएस परिवीक्षार्थियों प्रशिक्षण (जनवरी-18-22,2016) सीडब्ल्यूईपीए-	0	2772
191	एस2570 एनडीडीबी-पीओ प्रशिक्षण -जनवरा 4-9/16 सीपीएमई	0	153741
192	एस2576 राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा प्रशिक्षार्थियों का अध्ययन दौरा	0	699228
193	एस2577 आरएडीपीएफआई विशेष योजना	0	(1279125)
194	एस2579 एनआईआरडी पीआर एवं यूनिसेफ	0	13625
195	एस2580 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	0	(659778)
196	एस2584 योजना पीआरजी ओडीशा के अभिसरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	629154
197	एस2585 एपीएनए का निष्पादन - आन्ध्र प्रदेश सरकार	0	173929
198	एस2586 समता पहुँच समावेशन पर राष्ट्रीय सेमिनार	0	(160126)
199	एस2587 पीएमएजीवाई	0	(73585)
200	एस2589 अत्यंत पीडित क्षेत्रों में जल संसाधना का प्रबंधन	0	(194)
201	एस2701 निर्धनता एवं असमानता आकलन पर प्रशिक्षण	0	109782
202	एस2702 पंचायत राज-मेघालय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	0	430580
203	एस2703 प्रोटो टाईप आरएच अगस्त 29 - सितंबर 7 2016 का एसटीपी गठन	0	1033650
204	एस2704 एसटीपी केआइएलए पीआरआई दिसंबर 5-7 2016 सीपीआर	0	(5158)
205	एस2706 ग्रामीण विकास में जेंडर बजटिंग	0	(182927)
206	एस2707 जिला परिषद झारखंड राज्य के लिए ग्रामीण विकास	0	807085
207	एस1701पीसीडी भुबनेश्वर ओडिशा सरकार प्रशिक्षण काग्रक्रम	0	0
208	एस1702 डीएससीडब्ल्यूडी भुबनेश्वर प्रशिक्षण काग्रक्रम	0	0
209	निष्क्रिय निर्धारित निधि	159395616	153265016
210	पी0006 (ए) - अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम -2013-14	20011796	16303249
211	पी0006 पी - प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	(1475939)	(1475939)
212	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान)	62405136	62405136
213	पी0006 पी - प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुगतान) - एनईआरसी	5165316	3259290
214	एस0117 एस-यूएनडीपी उचंत	(917637)	(917637)
215	एस0126-यूएनडीपी-13	3641064	3641064
216	एस2225 टॉलिक- हिन्दी	(3525)	4197
	परियोजना बैंक खाता		
217	सीआरसीडीबी एवं एमआई	98235119	93997091
218	डीडीयू जी.के.वाई	61807624	68565724
219	एमजीएनआरईजीए	818935510	931214050
220	एमकेएसपी	8752743	8308161
221	एनआरएलएम आरसी	43782	5933660
222	आरसेटी- एनआईआरडीपीआर	64195136	67972763
223	एसआरएससी- एनआईआरडीपीआर	92454887	82654076
224	संयुक्त राष्ट्र महिला	25055	6387
225	प्राप्य के रुप प्रदर्शित शेष (ए4 को अंतरित)	11542702	20311416
	कुल	**1802877277**	**1837208047**
अनुसूची	**(एल4) परामर्शी परियोजनाएं**		
	एनआईआरडीपीआर - मुख्यालय		
1	सी0394 परिवार कल्याण कर्यक्रम पर पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	4229469	4229469
2	सी0432 इंडस आय सृजन घटक का प्रभाव	81701	81701
3	सी0434 सामाजिक लेखा परीक्षा - समुदाय पर एक अग्रणी परियोजना	84000	84000
4	सी0438 क्रियाविधि अफगानिस्तान आधिकारी	1008572	1008572
5	सी0439 अफगानिस्तान टीम (आरटीपी)	1283292	1283292
6	सी0444 यूएनडीपी (आईएल एवं एफएस) सीपीएमई	391372	391372
7	सी0445 येमेन गणतंत्र - सीआरसीडीबी	472698	472698
8	सी0446 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड - सीईएसडी	560891	560891
9	सी0447-अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सह परिचय - नैजीरियन शिष्टमंडल	1923724	1923724
10	सी0449-भी के सतत अभिसरण माडलों का मूल्यांकन	184204	184204
11	सी-0451-अफगानी पदाधिकारियों का परिचयात्मक दौरा (25.8.13)	100279	100279
12	सी0452 -तमिलनाडु जलागम विकास अभिकरण - परामर्श	310518	310518
13	सी0453 अग्रिम दूर संवेदी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, गणतंत्र	465954	465954
14	सी1707 अतिथि वक्ताओं को मानदेय	0	(13040)
15	एस2398 - जलागम विकास काग्रक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन	0	1658000
16	जेड0032- 100% वित्तीय समावेशन पर मूल्यांकन अध्ययन	0	(9)
	एनआईआरडीपीआर - क्षे. का		
17	एटीएमए - सिक्किम - क्षे. का	152427	152427
18	असम में बेसलाईन सर्वेक्षण पीएमएजीवाई	(162196)	(162196)

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
19	क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण एन ई सी - एन आर एल एम - क्षे.का	1893387	860551
20	सी - गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी) - क्षे.का	2631546	1295206
21	अस्सा द्वारा चैना मलेशिया का परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	(1665212)	(1665212)
22	परामर्शी - घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	1823710	1823710
23	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे।का एनईआरसी बैंक लेनदेन क्षे.का	(833367)	(833367)
24	परामर्शी - बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम- क्षे.का	1747961	2114611
25	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - क्षे.का	(15806)	(15806)
26	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-II एवं III नागालैंड का विकास - क्षे.का	(120416)	217577
27	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-I - क्षे.का	(93204)	(334533)
28	परामर्शी - पीईआर के असम - अंडमाऩ एवं निकोबार द्वीव के लिए परिचयात्मक दौरा- क्षे.का	81786	81786
29	परामर्शी - दक्षिण कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	670597	670597
30	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - क्षे.का	617621	1650330
31	परामर्शी - एचईएससाओ परियोजना - क्षे.का	(18918)	850633
32	परामर्शी - एनआईआरएमओवाई परियोजना - क्षे.का	588851	355978
33	परामर्शी - एनआरएलएम क्षे।का एनईआरसी परियोजना	3770483	3770483
34	परामर्शी - 10% पारिश्रमिक सभी परियोजनाएं - क्षे.का	(688680)	(313180)
35	परामर्शी - आर आर सी - एमजीएनआरईजीएस असम - क्षे.का	(173383)	(33753)
36	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा क्षे.का	103480	200000
37	परामर्शी -ईएफआई के लिए पारंपरिक एवं एनएचवी फसलों की भूमिका पर अध्ययन	486140	0
38	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एवं आरडी असम - क्षे.का	142724	142724
39	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - क्षे.का	(33438)	(33438)
40	डीडीयू जी.के.वाई -क्षे.का	35608	317156
41	बीआरजीएफ का मूल्यांकन अध्ययन - मेघालय - क्षे.का	37487	37487
42	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा प्रदर्शनी दौरा	73934	73934
43	मत्स्य एवं सूअर कृषक (मेघालय) - क्षे.का	2577107	2577107
44	जीआईएस-एमएपी-आई डब्ल्यू एम पी-असम - क्षे.का	109239	109239
45	आईडब्ल्यूएमपी - मूल्यांकन पीएमकेएसवाई - बी-I-त्रिपुरा - क्षे.का	280000	280000
46	आई डब्ल्यू एम पी - कोकराजहर - क्षे.का	93787	93787
47	आई डब्ल्यू एम पी-प्रशिक्षण -एसएलएनए-असम - क्षे.का	1122817	1122817
48	आई डब्ल्यू डब्ल्यू पी - मूल्यांकन परियोजना नागालैण्ड - क्षे.का	749990	749990
49	सौर उऱ्ष्मीकरण सिस्टम के लिए एमएनआरई - क्षे.का	399969	399969
50	एनईसी -क्षमता -निर्माण-एनआरएलएम-तीसरा चरण - क्षे.का	(1620075)	(2408792)
51	एनईसी - एमएपी - क्षे.का	(121048)	(121048)
52	एनईसी - जूम कृषि भू-स्थायनीय प्रौद्योगिकी - क्षे.का	3635681	4922862
53	एनएफडीबी -बील मछली प्रशिक्षण -क्षे.का	114783	114783
54	एनएफडीबी -कतोरा -नलहरी में मत्स्य पालन विकास - क्षे.का	31171	31171
55	वर्षा जल सिंचाई - क्षे.का	(1115)	(1115)
56	एसएमई पर एसटीपी और साउऱ्थ कोरिया एवं जापान के लिए परिचयात्मक दौरा - असम सरकार --	1942294	1942294
57	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - क्षे.का	169655	169655
58	टीएसआई-बीआरजीएफ, मेघालय - क्षे.का	639036	639036
59	ग्राम अभिग्रहण - हतियता -क्षे.का	15656	15656
60	व्यावसायिक प्रशिक्षण - डब्ल्यूजीएच - मेघालय - क्षे.का	2392943	3192505
61	वेस्ट गारो हिल्स -मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा - क्षे.का	1495000	1495000
62	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेषएस (ए8 को अंतरित)	5546857	5935488
	कुल	**41723543**	**45225734**
अनुसूची	**(एल 5) परामर्शी देयताएं**		
1	निवेश पर 25% ब्याज - हितकारी निधि	468325	284273
2	निवेश पर 75% ब्याज - विकास निधि	1404978	852821
3	सी0269 सामान्य एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	(490000)	(490000)
4	सी0272 मानदेय उचंत	1092855	1092855
5	सी0282 आयकर	3900	3900
6	विविध प्राप्तियां -एनईआरसी	111624	111624
7	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (ए8 को अंतरित)	490000	490000
8	देयताएं के रुप में प्रदर्शित शेष (ए8 से अंतरित)	462414	462414
	कुल	**3544096**	**2807887**
अनुसूची	**(एल 6) देयताएं एवं प्रावधान**		
1	एस0010 एस-सुरक्षा जमा	7918223	5127836
2	S0010 एस-सुरक्षा जमा -एनईआरसी	662754	804248
3	एस0011 एस-बयाना राशि जमा	4177827	3555224
4	एस0011 एस-बयाना राशि जमा-एनईआरसी	404015	293415
5	एस0014 एस-आय कर (ठेकेदार)	920600	429195
6	एस0014 टी डी एस वेतन 92बी	405863	474124
7	एस0058 एस- बिक्री कर / वैट	154109	154109

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
8	एस2119 आरसेटी	454949	1450463
9	एस2233 परियोजना से एनआईआरडी को अनुश्रवण प्रभार	191859559	277312222
10	एस2237- अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियँ	29673581	11243633
11	एस2252 जीएसटी प्रेषण	330491	0
12	एस2257 जीएसटी पर टीडीएस	194407	0
13	सेवा कर	(9538)	(9538)
14	प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री राहत निधि	(106816)	0
15	टी1011 बकाया देयताएँ	137887184	50883194
16	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	5015822	0
17	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए04 को अंतरित)	116354	9538
	कुल	**380059383**	**351727663**
अनुसूची	**(एल7) पारगमन लेखा**		
1	एस0015 एस-एल आई सी	(103277)	(720)
2	एस0013 एस-आयकर (वेतन)	(963671)	0
3	एस0016 एस-जी आई एस	(250275)	(17766)
4	एस0018 एस-वृत्ति कर	10000	42250
5	एस0019 एस-एस आर सी	(3034)	(130)
6	एस0202 एस-सामान्य भविष्य निधि -वेतन	1575908	788415
7	एस2251 यूएस प्रशासन मिजोरम सरकार	2760	1320
8	पुराने चेक	6615854	531246
9	एस0041 एस-डाक जीवन बीमा योजना	(2651)	0
10	एस0077 एस-बैंक ऋण	(449700)	0
11	एस0088 एस-बीवीबीवी स्कूल शुल्क	(12750)	0
12	एस0113 एस-एनईआरसी	100	0
13	एस2246 सीएओ; कपार्ट, उब्ज़ नई दिल्ली	50	0
14	एस2259 एसवी पशु चिकित्सा विश्वविध्यालय तिरूपति - वाई वी रामा रेड्डी	(10232)	0
15	एस2248 एफ ए एवं सी ए ओ आधुनिक कोच फैक्टरी, रायबरेली	(167)	0
16	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (ए7 को अंतरित)	1795757	18616
	कुल	**8204672**	**1363231**
अनुसूची	**(एल8) अंतरण लेखा**		
1	देयताएं के रुप में प्रदर्शित शेष (ए11 से अंतरित)	88944308	124969014
	कुल	**88944308**	**124969014**
अनुसूची	**(एल8) परामशी अंतरण लेखा**		
1	परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	416658	416658
2	जेड0029 - परामर्शी अंतरण लेखा	608788	608788
	कुल	**1025446**	**1025446**
अनुसूची	**(ए4) चालू आस्तियां एवं अग्रिम**		
1	प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री राहत निधि	0	89781
2	क्षे. का - सीपीडब्ल्यूडी पूंजीगत काम्र - एनईआरसी	0	1766147
3	एस2203 परियोजना आकस्तिकताएं	1094638	800076
4	क्षे.का - एनईआरसी - उचंत	5070452	2553786
5	टी1009 अंतः शेष	9245113	7322748
6	टी1010 अर्जित आय	76468038	90865333
7	टी1012 पूर्व प्रदत्त व्यय	175704	578480
8	टी1136 टी-उपलब्ध स्टैम्प	118940	83857
9	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (एल3 से अंतरित)	11542702	20311416
10	प्राप्य के रुप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	116354	9538
	कुल	**103831941**	**124381162**
अनुसूची	**(ए4) सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा**		
1	एस2101-सीएफआईई	(46819)	0
2	एस1825 परामर्शी -सह-मार्गदर्शन केन्द्र, वैशाली - कपार्ट	(2125250)	0
3	एस2123 आईसीएआर एनएआईपी कृषि - सी-गार्ड	365603	365603
4	एस2254 संचित निधि व्यय	81356	0
5	एस2326 एसआरएस चेयर ग्रामीण श्रमिक	(149494)	1444468
6	एस2405-एनआरएलएम संसाधन सेल	(2622742)	510930
7	एस2528-एसआरटी - टेक का सृजन - मनरेगा	(71517)	(0)
8	देयताएं के रुप में प्रदर्शित शेष (एल6 से अंतरित)	5015822	0
	कुल	**446959**	**2321001**
अनुसूची	**(ए4) ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी**		
1	कर्मचारियों को अग्रिम	2212690	1511434
2	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	317235	426355
3	एन0009 एन-मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	(151520)	(122291)
4	एन0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां)	2511575	(1282576)

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
5	एन0003 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां) - एनईआरसी	(67980)	(67980)
6	एन0017 पी-आवास निर्माण अग्रिम (प्राप्तियां)	0	1996778
7	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	400248	565478
8	एस0001 एस-साईकल अग्रिम	0	3900
9	एस0001 एस-साईकल अग्रिम - एनईआरसी	(2125)	(3025)
10	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम	291276	291276
11	एस0003 एस-त्यौहार अग्रिम - एनईआरसी	(57150)	(57150)
12	एस0102 एस-अग्रदाय	110275	95275
13	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम	(409517)	(77636)
14	एस0104 एस -वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम - एनईआरसी	(53688)	(12588)
	कुल	**5101319**	**3267250**
अनुसूची	**(ए5) जमा**		
1	अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा	9188048	10833333
2	एनईआरसी अतिथि गृह मरम्मत के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	10652000	
3	एलडीओ उत्तर दिल्ली के साथ जमा	1894586	1894586
4	P0016-टेलिफोन एवं अन्य जमा	488675	488675
5	टी1117-ब्याज सहित प्रतिभूति जमा, ए पी एस ई बी (आरआरएस 345)	1940270	1940270
6	टी1118-ब्याज सहित प्रतिभूति जमा, ए पी एस ई बी (आरआरएस 538)	509200	509200
7	टी1119-महा प्रबंधक टेलीफोन के साथ जमा	374496	374496
8	टी1120-ए पी डी डी सी के साथ जमा	6240	6240
9	टी1124-सपना उद्यम के साथ जमा	7200	7200
10	टी1125-सी एच।एस पी, सी टी ओ के साथ जमा, टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	10000	10000
11	टी1138 अन्य एजेन्सियों के साथ जमा	970500	970500
12	टी1140-एपीसीपीडीसीएल के साथ जमा (अरावली अतिथि गृह)	464203	464203
13	टी1142-एलडीओ - आरटीपी भूमि के साथ जमा	0	1500000
	कुल	**26505418**	**18998703**
अनुसूची	**(ए06) सावधि जमाओं में निवेश**		
	सामान्य		
1	एस0005 सावधि एवं लघ् अवधि जमा लेखा	1463758442	1306671866
2	एस2235 बी जी के विपरीत एस बी एच के पास सावधि जमा	616000	616000
	कुल	**1464374442**	**1307287866**
	चिह्नित निधियां		
1	भवन निधि - निवेश	156736691	146184000
	भवन निधि - अर्जित आय	6590090	6583668
2	संचित निधि - निवेश	2085605755	1740074338
	संचित निधि - अर्जित आय	50217162	83986442
3	विकास निधि - निवेश	82227979	72249946
	विकास निधि - अर्जित आय	8412516	9249345
4	डीडीयू जीकेवाई - निवेश	50000000	50000000
5	एसआरएससी- निवेश	87300000	82000000
6	सीएफआईई - निवेश	94350623	92923736
	कुल	**2621440816**	**2283251475**
अनुसूची	**(ए7) पारगमन लेखा**		
1	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 7 से अंतरित)	1795757	18616
	कुल	**1795757**	**18616**
अनुसूची	**(ए8) परामर्शी आस्तियां**		
1	अग्रिम -टीए /डीए -क्षे.का	290221	307700
2	सी0270-हितकारी निधि उचंत	29393	29393
3	सी0271-विकास निधि उचंत	34693	34693
4	सी-डैप-एपी-क्षे.का	902	902
5	ईएमडी-क्षे.का	96300	20000
6	विविध अग्रिम - क्षे.का	(99800)	(99800)
7	प्रतिभूति जमा - क्षे.का	(362614)	(362614)
8	जेड0026-आय कर (ठेकेदार)	2101	2101
9	जेड0031- परामर्शी उपार्जित ब्याज	836588	1137094
10	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 4 से अंतरित)	5546857	5935488
11	प्राप्तियों के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 5 से अंतरित)	490000	490000
12	देयताएं के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 5 को अंतरित)	462414	462414
	कुल	**7327055**	**7957371**
अनुसूची	**(ए9) सामान्य लेखों का अंत:शेष**		
	नकद लेखा		
1	भवन निर्माण निधि -एसबीआई -एनआईआरडी शाख	103854	254922
2	भवन निर्माण निधि - आन्ध्र बैंक 125510100109584	19437	0

क्र. संख्या	समूह विवरण	मार्च 31, 2019 (₹)	मार्च 31, 2018 (₹)
3	भवन निर्माण निधि सीएलटीडी	170000	0
4	संचित -एसबीआई -एनआईआरडी - 62112588084	1447637	129297994
5	विकास -एसबीआई -एनआईआरडी(खाता सं. 52040475255)	3222907	2433775
6	विकास निधि - आन्ध्र बैंक 25510100109593	7323	0
	सामान्य लेखा शेष		
7	सीएफआई -एसबीआई -एनआईआरडी (62094863681)	3884496	1073355
8	परामर्शी आन्ध्र बैंक खाता 125510100109609	6646	0
9	डीडीयू जीकेवाई -एसबीआई -एनआईआरडी शाख (62431332037)	14479470	18565724
10	मनरेगा -एसबीआई -एनआईआरडी शाख (A/सी624766174622)	818935510	931214050
11	एमकेएसवाई -एसबीआई -एनआईआरडी(62185305487)	8752743	8308161
12	एनआरएलएम -एसबीआई -एनआईआरडी शाख (62431461891)	39142	5933660
13	पीएनबी-एनईआरसी(सीए -1907012100000012)	12009471	13686545
14	आरसेटी -आन्ध्र बैंक (125510100098057)- राजेन्द्रनगर	27477	67972763
15	आन्ध्र बैंक आरसेटी सीएलटीडी	63333448	0
16	एसबीआई बचत बैंक खाता (62491365119)	37917715	147999106
17	एसबीआई बचत बैंक खाता (52040475313)	624913301	475914961
18	सामान्य खाता आन्ध्र बैंक 125510100109566	33872	0
19	एसबीआई चालू खाता(52040475062)	49752	391
20	एसबीआई-डीईसी पीजीडी एसआरडी (62114579633)	2075	1501
21	एसबीआई -एनआईआरडी डीईसी-पीजी सी-गार्ड (62350105231)	6897	1001
22	एसबीआई -एनआईआरडी पीजीडीआरडीएम (62052905893)	105649	1000
23	एसआरसीबी -एसबीआई -एनआईआरडी राजेन्द्रनगर (62221101177)	5154887	654076
24	यूएनडब्ल्य - एसबीआई यूएन महिला बैंक (62487461885)	25055	6387
	कुल	**1634648763**	**1803319370**
अनुसूची	**(ए 10) अंत:शेष परामर्शी लेखा**		
1	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी-एनईआरसी	2937116	2937116
2	पीएनबी-गूवाहाटी-एनईआरसी	27248901	28773360
3	एसबीआई-एनआईआरडी(52040475346)- परामर्शी	5700	387629
4	नकद -एनईआरसी	820	2971
	कुल	**30192537**	**32101076**
अनुसूची	**(ए11) अंतरण लेखा**		
1	एस0008 एस- मुख्यालय और गुवाहाटी के बीच अंतरण	0	0
2	एस0009 एस- सामान्य खाता एवं परामर्शी खाते के बीच अंतरण	1000000	1000000
3	एस0030 सामान्य खाता एवं भविष्य निधि के बीच अंतरण	1677801	14674379
4	एस0039 एस-सामान्य खाता एवं हितकारी निधि के बीच अंतरण	46236	0
5	एस0066 एस- बचत बैंक खाते से सामान्य खाते के बीच अंतरण	0	50000
6	एस2216 सीएलटीडी से सामान्य खाते के बीच अंतरण	(87143942)	(123118648)
7	एस2508- सामान्य खाता एवं आजीविका कौशल के बीच अंतरण	493	493
8	टी1116- भवन खाते के लिए	21890797	10516035
9	313 से भुगतान बचत 5119 के बीच	0	(50000)
10	एलसीबी एनएआईपी (708) को एसबी खाता 313 में	(1800366)	(1800366)
11	डीडीयू जीकेवाई 531 खोते से एसबी 313 खाते के बीच अंतरण	9376897	9376897
12	देयता के रूप में प्रदर्शित शेष (एल 8 को अंतरित)	88944308	124969014
	कुल	**33992218**	**35617804**

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31-03-2019 को समाप्त वर्ष के लिए हितकारी निधि की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2018 (₹)	प्राप्ति	31 मार्च 2019 (₹)
2249705	प्रारंभिक शेष - बैंक	2804485
17908	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	354351
301798	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	0
31003729	सावधि जमाओं में निवेश (परिपक्व)	33189056
2185328	निवेशों पर ब्याज	3557293
134722	कर्मचारियों से अंशदान - एनआईआरडी	95013
18200	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	20966
741710	विवाह ऋणों की वसूली	822116
173949	शिक्षा ऋणों की वसूली	192459
82811	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	49665
0	कराटे कोचिंग के लिए वसूले गए शुल्क	0
57848	एसबी खाते पर ब्याज	92380
36967708	**कुल**	**41177783**

	भुगतान	
850000	विवाह ऋण	1600000
33189057	सावधि जमाओं में निवेश	36705343
70000	उच्चतर शिक्षा ऋण	321333
0	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25000
52485	विविध व्यय	0
1682	बैंक प्रभार	59
2804485	अंत:शेष - बैंक	2526048
36967708	**कुल**	**41177783**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2018 - 2019 के लिए हितकारी निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2018 (₹)	आय	31 मार्च 2019 (₹)
64591	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	354351
237148	परामर्शी एसबी खाते पर अर्जित 25% ब्याज का अंतरण - क्षे.का	0
104024	परामर्शी निवेश पर अर्जित 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय	364286
120429	कर्मचारियों से अंशदान - एनआईआरडी	95013
18080	कर्मचारियों से अंशदान - एनईआरसी	20966
147915	ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	49665
3100	कराटे कोचिंग के लिए वसूले गए शुल्क	0
2254361	निवेशों पर ब्याज	2233993
802438	प्राप्त ब्याज	1093364
95445	एसबी खाते पर ब्याज	92380
0	अन्य प्राप्तियां	0
3847530	**कुल**	**4304018**

	व्यय	
50000	मृतक कर्मचारियों के निराश्रित परिवार को सहायता	25000
0	विविध व्यय	0
0	बैंक प्रभार	59
3797530	व्यय पर आय की अधिकता को तुलन पत्र में ले जाया गया	4278959
3847530	**कुल**	**4304018**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को हितकारी निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2018 (₹)	देयताएं		31 मार्च 2019 (₹)
46434003	पूंजीगत निधि - प्रारंभिक शेष	49879283	
3445280	जोड़े : तुलन पत्र में ले जाया गया व्यय पर आय की अधिकता	4278959	
49879283			54158242
49879283	**कुल**		**54158242**
	आस्तियां		
44015055	सावधि जमा में निवेश		47531341
1323300	प्राप्त ब्याज		1093364
284273	परामर्शी निवेशों पर 25% प्राप्त ब्याज का अंतरण - मुख्यालय		648559
1452170	कर्मचारियों को अग्रिम		2358930
2804485	अंत:शेष - बैंक		2526048
49879283	**कुल**		**54158242**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

वु रामपुल्ला रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2018 को रू	प्राप्ति	31 मार्च 2019 को रू.
69815472	प्रारंभिक शेष - बैंक	12218348
6192739	अंशदान / अग्रिम वसूली (एनईआरसी)	6434061
35567317	अंशदान / अग्रिम वसूली (मुख्यालय)	39639975
3669007	प्रबंध न योगदान	8117056
0	निवेशों पर ब्याज	20207423
329180	एसबी खाते पर ब्याज	492775
0	सावधि जमाओं पर नकदीकरण	158046597
8861543	सामान्य खाता से भविष्य निधि खाते को अंतरण	
124435258	**कुल**	**245156235**

	भुगतान	
39908893	जीपीएफ	46017716
7568184	सीपीएफ	5970355
4635496	नई पेंशन योजना	14157900
52112573		**66145971**
60100000	निवेश	163168721
4337	बैंक प्रभार	
0	भविष्य निधि खाते से सामान्य खाते को अंतरण	12233305
12218348	अंत:शेष - बैंक	3608238
124435258	**कुल**	**245156235**

(शांशे भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2018 - 2019 के लिए भविष्य निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2018 को रू	आय	31 मार्च 2019 को रू.
0	निवेशों पर ब्याज	3247811
12125196	प्राप्त ब्याज	8210106
329180	एसबी खाते पर ब्याज	492775
12454376	**कुल**	**11950692**

	व्यय	
7358899	जीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (मुख्यालय एवं क्षे.का)	7071495
1336910	सीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	952653
977288	सीपीएफ को जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	531555
0	एनपीएस टी-I को जमा किया गया ब्याज (स्वयं का अंशदान)	0
0	एनपीएस टी-I को जमा किया गया ब्याज (संस्थान का अंशदान)	0
4337	बैंक प्रभार	0
2776942	व्यय पर आय की अधिकता	3394989
12454376	**कुल**	**11950692**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को भविष्य निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2018 को रू.	देयताएं		31 मार्च 2019 को रू.
	भविष्य निधि की शेष राशि		
101598788	जीपीएफ		96339187
3379434	सीपीएफ		14961807
18647845	प्रबंधन अंशदान		13598284
6543990	नई पेंशन योजना - टायर- I		2088978
12024447	प्रबंधक अंशदान एनपीएस- टायर- I		11807071
27486372	अधिशेष - ओ बी	30263314.00	
2776942	आय की अधिकता जोड़ें	3394988.55	33658303
501515	विविध लेनदार		501515
14265225	सामान्य निधि को अंतरण		2031920
187224558	**कुल**		**174987065**
	आस्तियां		
158046597	निवेश		163168721
16959613	प्राप्त आय		8210106
12218348	बैंक में नकद		3608238
187224558	**कुल**		**174987065**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

डब्ल्यू रामपुल्ला रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए चिकित्सा संचित निधि की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

31 मार्च 2018 (₹)	प्राप्ति	31 मार्च 2019 (₹)
1408407	प्रारंभिक बैंक शेष	2635302
0	निवेशों पर ब्याज	770029
1396400	पेंशनों से अंशदान	3515637
557425	कर्मचारियों से अंशदान	84575
60949	एसबी खाते पर ब्याज	154213
3423181	**कुल**	**7159756**

	भुगतान	
787260	चिकित्सा व्यय - सदस्य	1234198
0	निवेश	770029
620	बैंक प्रभार	0
2635302	बैंक अंत:शेष	5155529
3423181	**कुल**	**7159756**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

वर्ष 2018 - 2019 के लिए चिकित्सा संचित निधि का आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2018 (₹)	आय	31 मार्च 2019 (₹)
0	निवेश पर ब्याज	133196
1396400	पेंशनों से अंशदान	3515637
557425	कर्मचारियों से अंशदान	84575
525725	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	404567
60949	एसबी खाते पर ब्याज	154213
2540499	**कुल**	**4292188**

	व्यय	
787260	चिकित्सा व्यय - सदस्य	1234198
619	बैंक प्रभार	0
1752620	व्यय पर आय की अधिकता	3057990
2540499	**कुल**	**4292188**

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2019 को चिकित्सा संचित निधि का तुलन पत्र

31 मार्च 2018 (₹)	देयताएं		31 मार्च 2019 (₹)
8649749	एनआईआरडी चिकित्सा संग्रहण निधि :	10402369.00	
1752620	*जोडे : व्यय पर आय की अधिकता*	3057989.95	
10402369			**13460359**
10402369	**कुल**		**13460359**

	आस्तियां	
7130234	निवेश	7900263
636833	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	404567
2635302	बैंक अंत:शेष	5155529
10402369	**कुल**	**13460359**

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

वु रांमपुल्ला रेड्डी

(डब्ल्यू आर रेड्डी)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रुप में अनुसूचियां

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

1. <u>महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :</u>

क) लेखाकरण करार

वित्तीय जानकारियों को अन्यथा वर्णन न किया गया हो उसे ऐतिहासिक लागत करार एवं लेखाकरण की संग्रहण पद्धति के आधार पर तैयार किया गया हैं ।

ख) संस्थान के लेखें

संस्थान निम्नलिखित निधि लेखों का रखरखाव करता है :

i) एनआईआरडी एवं पीआर लेखा

ii) हितकारी निधि लेखा

iii) भविष्य निधि लेखा

iv) एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा

संस्थान के वित्तीय उप-नियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित एवं तैयार किया जाना होता है जिसमें निम्नलिखित तीन जानकारियों को दर्शाया जाना होता है और इस तरह संकलित वार्षिक लेखा को संस्थान के लेखापरीक्षकों के सम्मुख 30 जून से पहले लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत की जाती है ।

i) प्राप्तियाँ भुगतान लेखा

ii) आय एवं व्यय लेखा

iii) तुलन पत्र

लेखों की लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षा को भेजा जाता है ।

2. <u>सरकारी अनुदान :</u> संस्थान को निधिपोषण केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है । लेखानुदान (सामान्य एवं वेतन) की गणना संग्रहण आधार पर की जाती है । वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत अनुदान की राशि को उपयोग में लाया जाता है और उसे पूंजीगत निधि को अंतरिक किया जाता है । उपयोग में न लाए गए शेष ऐसे अनुदान बकाया को तुलन पत्र-के अंतर्गत देयतायें में अनुदानों के अंतः शेष में दर्शाया जाता है । सामान्य एवं वेतन के अंतर्गत विशिष्ट रुप से प्राप्त निधियों की गणना पृथक रुप से की जा रही है ।

3. <u>आस्तियों का मूल्यांकन :</u> सावधि जमा आस्तियों का मूल्यांकन वर्ष के अंत में तुलनपत्र में दर्शाए गए निवल ह्रास और लागत पर किया जाता है ।

4. <u>मूल्यह्रास :</u> भारत सरकार, (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए लेखों के सामान्य फार्मेट के अनुसार आस्तियों के मूल्यों पर मूल्यह्रास उपलब्ध कराता है । तदनुसार संस्थान के कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार आय कर अधिनियम में निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाईन पद्धति के अनुसार वित्तीय 2017-18 वर्ष के प्रारंभ में आस्तियों के मूल्य पर मूल्यहास के 100% लागू दरों को उपलब्ध कराया गया ।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2018-19 से आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर रिटन डाऊन पद्धति को अपनाया गया है । ए एस - 10 के पैरा 63 के अनुसार ए एस 5 के अनुसार लेखाकरण आकलनों में बदलाव के अनुसार मूल्यह्रास पद्धति में हुए बदलाव की

गणना की जानी चाहिए । इसलिए मूल्यह्रास के लिए पद्धति में परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रभाव के साथ-साथ ए एस-5 के पैरा और पैरा 25 के साथ शुद्ध लाभ या अवधि के लिए कमी को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के साथ अपनाया गया है ।

वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के लिए लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यह्रास प्राप्त की गई संपत्ति के लिए प्रदान की जाती है और 6 महीने से अधिक और छह महीने से कम अविध के लिए मूल्यह्रास की लागू दर का 50% से अधिक उपयोग किया जाता है । परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास अवधि के अंत में रूपये के सामान्य मूल्य पर दिखाया गया है । परिसंपत्तियों की लागत रू. 5000 या कम प्रत्येक पूरी तरह से प्रदान किए जाते हैं (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोडकर)

5. औषधियों, लेखन सामग्री, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स के अंतिम स्टॉक को खरीदी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

6. पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतिम स्टॉक को लागत या बिक्री मूल्य जो भी कम हो मूल्यांकित किया जाता है ।

7. रोकड आधार पर परियोजना लेखों की गणना की जाती है ।

8. **सेवानिवृत्ति लाभ :** सेवानिवृत्ति लाभ जैसे - पेन्शन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण को अर्थात् जब कभी भी भुगतान किया गया हो वास्तविक आधार पर प्रदान किया गया है । (कृपया नोट सं. 13 (घ) देखें)

9. **वित्तीय प्रबंधन :** संस्थान के वित्त प्रबंध एवं नियंत्रण को सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों को एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को देखते हुए लागू किया जा रहा हैं ।

10. संस्थान के वित्तीय उप-नियम में बजट, निवेश नीतियां लेखा और लेखा परीक्षा इत्यादि सहित विभिन्न वित्तीय एवं लेखाकरण पहलुओं के लिए कार्य पद्धति समाहित है ।

11. आयकर : संस्थान को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए ए के अंतर्गत 01.04.2007 से छूट दी गई है कृपया आयकर निदेशक, हैदराबाद के आदेश (छूट), सं. डी आई टी (ई) / 12 ए / हैदरा / 21 (04)/ 07 - 08 दिनांक 20.09.2007 का अवलोकन करें । उसी प्रकार एन आई आर डी को 01.04.2009 से 31.03.2011 तक किए गए अंशदान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (vi)के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई । कृपया आयकर (छूट) के निदेशक हैदराबाद, के आदेश सं. डी आई टी (ई) / हैदरा / 80 जी / 17 (06) / 09 - 10 दिनांक 17.07.2009 का अवलोकन करें । धारा 80 जी (5) (vi) के अंतर्गत छूट को अगले आदेशों की प्राप्ति तक बढ़ाया गया है । कृपया आदेश सं. डी आई टी (ई) / हैदरा /80 जी / 20 (05) 11 - 12 दिनांक 26.08.2011 का अवलोकन करें ।

12. विकास निधि, भवन निधि एवं संचित निधि के लेखा को ''चिन्हित निधियों'' के अंतर्गत गणना की गई है तथा इन निधियों के प्रत्येक बकाया को तुलन पत्र में देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 3 ''चिन्हित निधियों'' के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

इसके फलस्वरूप संबंधित तीन निधियों की प्राप्ति एवं भुगतान को संबंधित निधियों के द्वारा ही दिया जा रहा है तथा इसे एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा के द्वारा नहीं दिया जाएगा ।

उपरोक्त तीन निधियों में से जहॉ कहीं भी सावधि संपत्तियों को अर्जित किया गया है उन्हें एनआईआरडीपीआर के तुलन पत्र अनुसूची 5 ''सावधि परसिंपत्तियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है । अत: इस पर मूल्यह्रास को एनआईआरडीपीआर के आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है ।

13. सहायता अनुदान को केन्द्र सरकार द्वारा ''वेतन एवं सामान्य'' के अंतर्गत जारी किया गया है । इसलिए आय एवं व्यय लेखा को तदनुसार तैयार किया गया है ।

14. **लेखा टिप्पणियां**

क. सामान्य लेखा में आंकडे - आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र में एन आई आर डी एवं पी आर को समग्र रुप से दर्शाया गया है (एन ई आर सी, गुवाहाटी सहित) । संस्थान प्रायोजक एजेन्सिज के साथ महानिदेशक द्वारा सहमत शर्तो और नियमों पर परामर्शी, परामर्शी कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजनाओं इत्यादि को प्रारंभ करता है । संस्थान प्रायोजक एजेन्सी से शुल्क की वसूली करता है - ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के प्रति शुल्क एवं ऐसे परामर्शी कार्यो पर व्यय को प्राप्त करता हैं । उसी से किया जाएगा ।

ख. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न लेखों की निवेशों की जानकारी के सत्यापन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा ।

ग वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणित बीमांकिक के द्वारा सेवा निवृत्ति लाभ जैसे - उपदान, पेन्शन और छुट्टी नकदीकरण मूल्यांकन किया गया । 31 मार्च, 2019 को आकलित देयता राशि रू. 432.21 करोड़ (ग्रेच्युटी - रू.30.41 करोड़, वर्तमान पेन्शन - रू. 97.30 करोड़, वर्तमान कर्मचारियों को पेन्शन रू. 291.00 करोड़ एवं छुट्टी नकदीकरण रू. 13.50 करोड़) रूपए था । जी एफ आर एस 2017 के नियम 230 (12) (ii) के अनुसार ''अनुदान संस्थाओं / संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि <u>वे अपने स्वयं या सरकारी लेखा पर देयता लेने के बजाय</u> पेन्शन या उपदान स्कीमों या समूह बीमा योजना या हाऊज बिल्डिंग ऋण या वाहन ऋण स्कीम जो कर्मचारियों के लिए मार्केट में उपलब्ध है से संबंधित संदर्भ को ध्यानाकर्षित किया गया है । चूंकि संस्थान अपने सभी क्रियाकलापों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधि पोषित है । मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वे सेवानिवृत्ति लाभों के देयताओं के निधिपोषण हेतु पृथक रूप से अनुदानों को जारी रखे। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है इसलिए निधियों को जारी करने एवं सेवानिवृत्ति देयताओं पर एम ओ आर डी के पास लंबित निर्णय को लेखा पुस्तिका में नहीं दर्शाया गया है ।

घ. स्ट्रेट लाईट पद्धति से डब्ल्यू डी वी पद्धति में बदलाव के सम्बन्ध में परिसंपत्तियों की जानकारियों को संकलित करते समय यह देखा गया है कि आर टी पी परिसंपत्तियों (तुलन पत्र की अनुसूची – 5) के अंतर्गत संपत्तियों के कुछ ब्लॉक को अति ह्रास में दिखाया गया है । आर टी पी संपत्तियों के अंतर्गत प्रत्येक संपत्तियों के सही मूल्य की गणना करने के लिए अति मूल्यह्रास रू. 27,13,740/- की राशि को पूर्णतया बदल दिया गया है अतिरिक्त मूल्यह्रास को बदलने के बाद आर टी पी संपत्तियों के निवल ब्लॉक में संपत्ति ब्लॉक के सही अंकित मूल्य को दर्शाया गया है । इसके परिणाम स्वरूप, अति मूल्यह्रास की राशि रू. 27,13,740/- उस अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय रहा । इसे आय एवं व्यय लेखा में पूर्वावधि आय में लिया गया है ।

ड़.) आकस्मिक देयतायें: मेडागास्कर में सी-गार्ड प्रौद्योगिकी केन्द्र को स्थापित करने हेतु विदेश कार्य मंत्रालय की परियोजना के संबंध में संस्थान ने रू.616000.00 की बैंक गारंटी (एस.बी.आई.) दी है। इसे सामान्य लेखा तुलन पत्र: अनुसूची ए -6 सामान्य खाते में निवेश के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।

च) जहां कही भी व्यवहार्य हो, खाता कोड संख्या को खाता-नाम में प्रि-फिक्स किया गया है ताकि टैली खातों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके ।

छ) जहां कही भी व्यवहार्य हो, अनुसूचियों / खातों को रीग्रूप / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि टैली विवरणों में मदों की शिनाख्त आसानी से की जा सके । जहां कहीं आवश्यक हो पूर्व वर्षो के अंकों को तदनुसार पुन: समूहबद्ध किया गया है । आंकडों को निकटतम रूपये में मिला दिया गया है ।

ज) आय के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखा - अनुसूची 9 से 13 : विविध प्राप्तियों में पूर्वावधि से संबंधित प्राप्तियां सम्मिलित है ।

झ) भूमि का विवरण :

i) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 125.00 गुंटा का विस्तार प्रेमावतीपेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

ii) सर्वे संख्या 91 में कवर किए गए ए सी 27.26 गुंटा का विस्तार प्रेमावती पेट गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

iii) सर्वे संख्या 316 में कवर किए गए ए सी 8.08 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है ।

iv) सर्वे संख्या 273 में कवर किए गए ए सी 3.03 गुंटा का विस्तार बुधवेल गांव, राजेन्द्रनगर मंडल, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है वर्तमान में यह भूमि अर्जन अधिकारी के पास अभिग्रहण में है ।

v) 5 बिघा का विस्तार जो जवाहरनगर के प्लॉट संख्या 19 है उसे डाग संख्या 341 एवं 346 खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा कवर किया गया है ।

vi) बिघा 1 काता का विस्तार जिसे डाग संख्या 346 (1223) खानापारा गांव, गुवाहाटी असम द्वारा किया गया है ।

vii) शहरी विकास मंत्रालय, कोटला रोड़, राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली द्वारा एनआईआरडीपीआर को प्लॉट नंबर 14, मापन को 850 वर्ग मीटर को जुलाई, 2002 में आबंटित की गई । यहां नोट करने वाली बात ये है कि आबंटन दिनांक से ही इस भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है ।

ट) थर्ड पार्टियों से प्राप्त योग्य और कार्यक्रम / परियोजनाओं के शेष से संबंधित परिसंपत्ति पुष्टि की शर्त पर होगी ।

ठ) वर्ष 2018-19 में चिन्हित निधियों के बकाया पर ब्याज की बचत दर को परियोजना बहिखाता में जमा किया गया है । इस वर्ष के दौरान सामान्य लेखा में अर्जित कुल ब्याज में से रू. 3,62,47,823 एस बी लेखा पर ब्याज रू. 1,74,57,368 तथा अल्पावधि और दीर्घावधि निक्षेपों पर ब्याज रू. 1,85,72,421 की राशि को नामे करते हुए किया गया है ।

शशि. भूषण

शशिभूषण

वित्तीय सलाहकार

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद - ५०० ००४.

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

No.PDA(C)/CEA/Unit-1/ NIRD&PR/SAR.2018-19/ 2019-20/252 Date:29.10.2019
30

सेवा में

सचिव,
भारत सरकार,
ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ. राजेन्द्रप्रसादरोड,
नई दिल्ली -110 001

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय संस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायतीराज, राजेंद्रनगर, हैदराबादकेवर्ष 2018-19 केलेखोंपरपृथकलेखापरीक्षाप्रतिवेदन

******

Separate Audit Report (SAR) on the Accounts of National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad, for the year 2018-19, Annexure to SAR and one copy of the Annual Accounts of the Institute for the year 2018-19, are forwarded herewith for placing before the Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

Sd/-

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय)

Principal Director of Audit (Central)

Endt. No.PDA(C)/CEA/Unit-1/ NIRD&PR/SAR.2018-19/ 2019-20/ Date: 29.10.2019

Copy Dr. W.R Reddy, IAS, Director General, National Institute of Rural Development & Panchayat Raj, Rajendranagar, Hyderabad-500 030, along with one copy of Annual Accounts for the year 2018-19 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2018-19 (2 sets), to this Office.

संल:यथोपरि

निदेशक/ केंद्रीयव्ययलेखापरीक्षा
DIRECTOR/ CEA

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

हमने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च, 2019 का संलग्न - तुलन पत्र और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखा परीक्षा कर ली है । इस लेखापरीक्षा को वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है इन वित्तीय विवरणियों में हमारे क्षेत्रीय केन्द्र के लेखों को भी सम्मिलित किया गया है । इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है हमारी जिम्म्देारी इन वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षा पर आधारित अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रण और भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धतियों की समानुरूपता, लेखाकरण मानकों एवं प्रकटीकरण नियमों के संबंध में लेखा पर टिप्पणियां दी गई है । उसी प्रकार से विधि, नियमावली एवं विनियमन (हकदारी एवं विनियमनता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं क्षमता सह निष्पादन पहलू यदि कोई सूचित किया गया हो तथा उसे सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से दर्शाया गया है उसे प्रस्तुत किया गया है ।

3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हमने लेखापरीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरणियां वस्तुगत त्रृटियों से मुक्त है । इस लेखापरीक्षा में राशियां तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटनों में देखे गए प्रमाणों के परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है । लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों एव प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखेपरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सही सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक है ।

ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को सही रूप से तैयार किया गया है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुरूप है ।

iii. हमारी राय में, संस्थान के उप नियम 31 के अंतर्गत रख-रखाव किए गए लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है जो हमारी परीक्षण पुस्तिका के अनुसार पाए गए है ।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

क. समेकित तुलन पत्र

क.1 पूंजी और देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: रू. 51.86 करोड़

क.1.1.1 इसमें रू. 19.19 करोड़ की अंत शेष राशि हैं जो चिन्हित विशिष्ट परियोजना (एसजीएसवाई / डीडीयू-जीकेवाई) के लिए निर्धारित मूल अनुदान में से प्रतिशत के रूप में एम ओ आर डी से संस्थान को अनुश्रवण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है एवं इसे मंजूरीकृत विशिष्ट परियोजनाओं के अनुश्रवण से संबंधित व्यय किया जाएगा । इसे गलती से चिन्हित निधियों के बजाय चालू देयताओं में वर्गीकृत किया गया है यद्यपि यह लेखा का समानांतर फार्मेट (पृष्ठ 26) के लिए अनिवार्य है । इसके परिणाम स्वरूप चालू देयताओं को बढ़ाकर एवं चिन्हित निधियों को रू. 19.19 करोड़ घटाकर दर्शाया गया है ।

ख. सामान्य

1. लेखांकन मानक -15 के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति प्रावधान नहीं किया गया ।

2. चिन्हित निधियां परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (अनुसूची-एल 3, वार्षिक खातों के पृष्ठ 11 से 14) में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में, 1,15,42,702 की ऋणात्मक अंतिम शेष राशि शामिल है, जिन्हें प्राप्य के रूप में माना गया । संबंधित पक्षकारों / प्रायोजन एजेंसियों से रसीद / अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की पुष्टि प्राप्त किए बिना, चालू परिसंपत्तियों, निक्षेपों, अग्रिमों एवं अंत: शेष (अनुसूची-A4, वार्षिक खातों के पृष्ठ 16) के तहत आस्तियों की ओर से शेष राशि धनात्मक बकाया के रूप में स्थानांतरित किया गया। अनुसूची - एल 3 के तहत ऋणात्मक अंतिम शेष का यह अंतरण हर साल ऋणात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अंतरण लेखांकन के तौर पर किया जा रहा था। खातों का एकसमान प्रारूप परिसंपत्तियों के लिए देनदारियों के तहत डेबिट बैलेंस के हस्तांतरण को निर्धारित नहीं करता है और संपत्तियों की देयताओं को क्रेडिट बैलेंस करता है। इन ऋणात्मक अंतिम शेषों की समीक्षा नहीं की गई थी और इन ऋणात्मक शेष को संशोधित करने और तदनुसार गणना करने की आवश्यकता है।

3. परामर्शी परियोजनाएँ (एल**4),** देयताएं और प्रावधान (एल**6)** और ट्रांजिट अकाउंट्स (एल**7)** में रू. **74,58,968** की माइनस बैलेंस राशि शामिल है, जिन्हें गलती से प्राप्य के रूप में माना गया और संबंधित वर्तमान परिसंपत्तियों की ओर शेष राशि के रूप में हस्तांतरित किया गया है। संबंधित पार्टियों / प्रायोजन एजेंसियों से पुष्टि प्राप्त किए बिना प्राप्तियां/ व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय किया गया । इन ऋणात्मक अंतिम शेषों की समीक्षा नहीं की गई और तदनुसार गणना की गई ।

4. एनआईआरडीपीआर सामान्य खाता संख्या 62491365119 के संबंध में समय बाधित चेक संख्या रू. 10,21,860 को लेखा की समाप्ति से पहले लेखा पुस्तिका में नहीं लिखा गया है । इन विसंगतियों को बैंक के संबंध में तथा बैंक लेखा के नकद बकायों में लेखा समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

5. तुलन-पत्र में निवेश और वास्तविक निवेश विवरण के बीच निम्नलिखित विसंगतियों के समाधान की आवश्यकता है।

क्रम सं.	निधि का नाम	वार्षिक लेखा के अनुसार मूल्य	निवेश विवरण के अनुसार मूल्य	अंतर
1.	संचित निधि	5,02,17,162	4,59,49,635	42,67,527
2.	भवन निधि	66,24,548	65,90,090	34,358
3.	विकास निधि	84,12,516	39,76,463	44,36,053

6. ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के संबंध में शैक्षणिक प्राप्तियां (अनुसूची -10**)** और रू. 79,79,317 और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम, रू.13,47,437 की राशि थी, जबकि पीजीडीआरडीएम के लिए शुल्क की वास्तविक प्राप्तियां थी, रू. 2,18,70,000 और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क रू. 16,47,000 थी, इसका समाधान किए जाने की जरूरत है।

7. भविष्य निधि की प्राप्तियां और भुगतान खाते के अनुसार, कर्मचारियों द्वारा अंशदान, 5,41,91,092 था, हालाँकि वास्तविक अंशदान रू. 5,31,26,462 था। रू. 10,64,64,630 के अंतर का समाधान किया जाना है।

8. नियत परिसंपत्तियां (अनुसूची-**5)** में 2017-18 के दौरान मरम्मत और रखरखाव के तहत रू. 24,87,107 **/ -** का राजस्व व्यय शामिल है जिसे नियत परिसंपत्तियां भवन और अन्य निर्माण कार्य के अंतर्गत इसके परिणामस्वरूप नियत परिसंपत्तियों को बढ़ाकर और व्यय को रू. 0.25 करोड़ घटाकर दर्शाया गया है ।

ग. सहायक अनुदान : कुल सहायक अनुदान राशि में से वर्ष के दौरान रू. 72.17 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (योजना वेतन रू. 52.17 करोड़, योजना सामान्य : रू. 20.00 करोड़) तथा रू. 37.33 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों के साथ पिछले वर्ष से संबंधित रू. 135.78 करोड़ की अव्यय शेष अर्थात् कुल रू. 245.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई । संस्थान ने कुल रू. 79.32 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 तक 165.96 करोड़ की राशि अव्यय रही ।

घ. लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव

कार्यवाही पैराग्राफ में दर्शाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव शून्य है ।

v. पूर्व पैराग्राफ में हमारे परीक्षणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते है कि तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित है वे लेखा पुस्तकों के समनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय में तथा उत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय जानकारियों को लेखाकरण नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए एवं इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में उल्लिखित अन्य मामलों एवं उपरोक्त दर्शायी गई महत्वपूर्ण जानकारियों, लेखाकरण् सिद्धांतों, लेखा टिप्पणियों जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत है की समरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ।

क. जहां तक तुलन - पत्र का संबंध है वह 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मामलों से संबंधित है ।

ख. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ***अधिशेष*** के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केन्द्रीय)

---

1. आर एवं पी लेखा के अनुसार अंशदान - रु.54191092 – रु.53126462 (वास्तविक अंशदान)
2. सामान्य एवं वेतन : रू. 52.24 करोड़ एवं पूंजी : रू. 27.08 कुल : रू. 79.32

परिशिष्ट

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की समुचितता : वर्ष** 2018-19 के लिए संस्थान की लेखापरीक्षा को चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया ।

2. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की समुचितता: आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जिसका कारण -

क. ग्रामीण विकास मंत्रालय / मंजूरीकृत परियोजनाओं से संबंधित निधिपोषण एजेन्सी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना संचित निधि का अंतरण करते हुए संस्थान की आंतरिक प्राप्तियों के रूप में समाप्त और निष्क्रिय परियोजना निधि के अव्ययीकृत बकायों का लेखोकरण ।

ख. पुराने और ऋणात्मक अंतिम शेष बकायों को समाधान किए बिना आगे बढाया गया

ग. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलन में नही है जिसमें अन्य बातों के अलावा लेखा के विभिन्न शीर्षो के लेखाकरण हेतु अपनायी गई कार्य पद्धति तथा प्रत्येक लेखा शीर्ष हेतु अपनाई जाने वाली लेखाकरण कोड की सूची भी प्रचलन में नहीं है।

3. **सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की पद्धति :** वर्ष 2018-19 के दौरान सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन को आयोजित किया गया ।

4. **सूचियों की भौतिक सत्यापन की पद्धति :** वर्ष 2018 - 19 के दौरान सूचियों की भौतिक सत्यापन सत्यापन को पूर्ण किया गया और लेखापरीक्षा में कोई विसंगति नहीं पाई गई ।

5. **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता :** संस्थान सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित करता है।

रिकता गोपाल

निदेशक / केन्द्रीय व्यय लेखापरीक्षा

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

लेखापरीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
हमने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च, 2019 का संलग्न - तुलन पत्र और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखा परीक्षा कर ली है। इस लेखापरीक्षा को वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है इन वित्तीय विवरणियों में हमारे क्षेत्रीय केन्द्र के लेखों को भी सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षा पर आधारित अपनी राय व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रण और भारत के महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धतियां के समानुरूपता, लेखाकरण मानकों एवं प्रकटीकरण नियमों के संबंध में लेखा पर टिप्पणियां दी गई है। उसी प्रकार से विधि, नियमावली एवं विनियमन (हकदारी एवं विनियमनता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी एवं क्षमता सह निष्पादन पहलू यदि कोई सूचित किया गया हो तथा उसे सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट / निरीक्षण रिपोर्ट द्वारा पृथक रूप से दर्शाया गया है उसे प्रस्तुत किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा आयोजित की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हमने लेखापरीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरणियां वस्तुगत त्रृटियों से मुक्त है। इस लेखापरीक्षा में राशियां तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटनों में देखे गए प्रमाणों के परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों एव प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
i. हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सही सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं
ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा को सही रूप से तैयार किया गया है और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं
iii. हमारी राय में, संस्थान के उप नियम 31 के अंतर्गत रख-रखाव किए गए लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया गया है जो हमारी परीक्षण पुस्तिका के अनुसार पाए गए है।	कोई टिप्पणी नहीं
iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :	

क. समेकित तुलन पत्र

क.1 पूंजी और देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान: रू. 51.86 करोड़

क.1.1.1 इसमें रू. **19.19** करोड़ की अंत शेष राशि हैं जो चिन्हित विशिष्ट परियोजना (एसजीएसवाई / डीडीयू-जीकेवाई) के लिए निर्धारित मूल अनुदान में से प्रतिशत के रूप में एम ओ आर डी से संस्थान को अनुश्रवण शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है एवं इसे मंजूरीकृत विशिष्ट परियोजनाओं के अनुश्रवण से संबंधित व्यय किया जाएगा। इसे गलती से चिन्हित निधियों के बजाय चालू देयताओं में वर्गीकृत किया गया है यद्यपि यह लेखा का समानांतर फार्मेट (पृष्ठ **26)** के लिए अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को बढ़ाकर एवं चिन्हित निधियों को रू. **19.19** करोड़ घटाकर दर्शाया गया है।

एनआईआरडीपीआर में डीडीयुजीकेवाई परियोजना सेल को एनआईआरडीपीआर को आबंटित राज्यों द्वारा डीडीयुजीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने 16 राज्यों को एनआईआरडीपीआर को आबंटित किया है और नाबार्ड के एक संगठन नैबकॉन्स को अवसंरचना तथा सीटीएसए को स्टाफ प्रदान करने हेतु शेष राज्यों को आबंटित किया है ताकि वे निर्धारित क्रियाकलापों जैसे - अनुश्रवण और मूल्यांकन, वित्तीय लेखापरीक्षा, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, मंत्रालय को नीति समर्थन, राज्य डीडीयु-जीकेवाई को अनुभव समर्थन, कार्यों को प्रारंभ कर सके। एनआईआडीपीआर के सीटीएसए द्वारा निगरानी शुल्क के रूप में मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान राशि जारी करता है एनआईआरडीपीआर उस राशि को व्यय करता है। यह निगरानी शुल्क मंत्रालय और राज्यों द्वारा सभी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में मंत्रालय और राज्यों द्वारा 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। "हिमायत" के मामले में जम्मू-कश्मीर का एक कौशल कार्यक्रम निगरानी शुल्क का 100% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। इस अनुपात को बाद में बदल दिया गया है जिसमें मंत्रालय 60% की सीमा तक लागत को पूरा कर रहा है और 40% की सीमा तक राज्यों का योगदान है। जैसा कि उपरोक्त 60% निगरानी शुल्क (परियोजना लागत का 1.5%) मंत्रालय से रहा है और शेष 40% राज्य द्वारा अपने स्वयं के राज्य संसाधनों से वहन किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से बात सामने आती है कि यह निगरानी शुल्क उन सेवाओं के बदले है जो सीटीएसए द्वारा प्रदान की जा रही हैं न कि पूर्ण अनुदान। जब तक सीटीएसए कुशलतापूर्वक कार्यों का प्रबंधन करता है, तब तक निगरानी शुल्क में बचत होगी जो जाहिर तौर पर एनआईआरडीपीआर का राजस्व है। एनआईआरडीपीआर का सीटीएसए राज्यों और मंत्रालय की संतुष्टि सहित प्रभावी ढंग से कार्यों का निर्वहन कर रहा है और इसलिए मंत्रालय और राज्य डीडीयूजीकेवाई को लागू करने में एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए के साथ कार्यरत हैं।

मंत्रालय और राज्यों की संतुष्टि स्तर पर सीटीएसए के कार्यों को करने के लिए एनआईआरडीपीआर ने लगभग 100 उच्च स्तरीय पेशेवरों को कार्यरत किया है। संख्या कार्यभार के आधार पर अधिक होगी जो फिर से परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करती है। उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचे और इसके रखरखाव के साथ सुविधा प्रदान की जाती है और उनके कार्य के लिए उनके प्रयोजनकमूलकता का भी ध्यान रखा जाता है। इन सभी गतिविधियों की लागत को कुशलतापूर्वक एनआईआरडीपीआर के सीटीएसए द्वारा निगरानी शुल्क अर्थात परियोजना लागत का 1.5% से प्रबंधित किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मॉनिटरिंग शुल्क चिन्हित निधि नहीं है और इसलिए इसे वर्तमान देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि डीडीयूजीकेवाई का सीटीएसए एक अलग लागत केंद्र के रूप में कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है ताकि खर्च और इसकी दक्षता पर नजर रखी जा सके। प्राप्तियों के पक्ष में आगे निगरानी प्रभारों का प्रवाह तय नहीं है या सटीक अनुमान नहीं है। यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नियमित अनुदान की सामान्य पद्धति के खिलाफ निगरानी शुल्क प्रवाह की भी गारंटी नहीं है। मंत्रालय सीटीएसए के कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त समर्थन जारी नहीं करेगा और सीटीएसए को कुल परियोजना लागत के

	1.5% की लागत के भीतर प्रबंधन करने की आशा की जानी है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह बार-बार कहा गया है कि निगरानी शुल्क चिन्हित निधि नहीं है और यह वाणिज्यिक अर्थों में सीटीएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क है और इसलिए किसी भी बचत या छोटी गिरावट एनआईआरडीपीआर के दायरे में होगी। चालू देयता के रूप में निगरानी शुल्कों का शेष दर्शाने वाला लेखा उचित और मान्य है।
ख. सामान्य **1.** लेखांकन मानक **-15** के अनुसार अनिवार्य होने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति प्रावधान नहीं किया गया।	सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन यानी उपदान, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणित बीमांकिक के माध्यम से आयोजित किया गया था। 31 मार्च 2019 को अनुमानित देयता 432.21 करोड़ रुपये थी उपदान- 30.41 करोड़ रुपये, वर्तमान पेंशन- 97.30 करोड़ रुपये, वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन- रु. 91.00 करोड़ और छुट्टी नकदीकरण - 3.50 करोड़ रुपये)। जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान को मुख्य रूप से अपनी सभी गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया गया है, मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के वित्तपोषण के लिए अलग से अनुदान जारी किया जाए। मामले को कार्यकारी परिषद के साथ भी रखा गया और एमओआरडी के समक्ष रखा गया । इसलिए, धनराशि जारी करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लंबित निर्णय, खातों की पुस्तकों में सेवानिवृत्ति लाभों पर देयता प्रदान नहीं की गई है। उपरोक्त के बावजूद लेखा टिप्पणियां - क्रम.सं. 14 (सी) में विस्तृत प्रकटीकरण किया गया है जो लेखा के समानांतर फार्मेट में अपेक्षित है जिसमें कहा गया है कि लेखा मानकों के गैर पालन के मामले में, उचित प्रकटीकरण वित्तीय प्रभाव के साथ मानक से हटाया जा सकता है।
2. चिन्हित निधियां परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान (अनुसूची-एल 3, वार्षिक खातों के पृष्ठ 11 से 14) में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के संबंध में, 1,15,42,702 की माइनस क्लोजिंग शेष राशि शामिल है**,** जिन्हें प्राप्य के रूप में माना गया । संबंधित पक्षकारों / प्रायोजन एजेंसियों से रसीद / अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की पुष्टि प्राप्त किए बिना**,** चालू परिसंपत्तियों, निक्षेपों, अग्रिमों एवं अंत: शेष (अनुसूची-A4, वार्षिक खातों के पृष्ठ 16) के तहत आस्तियों की ओर से शेष राशि प्लस बकाया के रूप में स्थानांतरित किया गया। अनुसूची - एल 3 के तहत माइनस क्लोजिंग बैलेंस का यह ट्रांसफर हर साल माइनस इफेक्ट को कम करने के लिए अंतरण लेखांकन के तौर पर किया जा रहा था। खातों का एकसमान प्रारूप परिसंपत्तियों के लिए देनदारियों के तहत डेबिट रोष के हस्तांतरण को निर्धारित नहीं करता है और परिसंपत्ति में देयताओं को जमा शेष करता है। इन माइनस अंत शेषों की समीक्षा नहीं की गई थी और इन माइनस शेष को संशोधित करने और तदनुसार गणना करने की आवश्यकता है।	कुछ परियोजनाएं घाटे में चल सकती हैं और परियोजनाओं के बंद होने तक संपत्ति के तहत नकारात्मक संतुलन दिखाना होगा। जैसा कि परियोजना शेष की प्रकृति (सकारात्मक / नकारात्मक) वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है, सभी परियोजनाएं प्रासंगिक अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह वास्तव में सभी परियोजनाओं की पूरी तस्वीर उनके शेष को प्रस्तुत करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक एल 3 अनुसूची में देनदारियों के तहत सकारात्मक शेष के खिलाफ इस तरह के नकारात्मक संतुलन स्थापित नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन परिसंपत्तियों के तहत दर्शाए जाते हैं जो एक सही लेखांकन समाधान है। लेखा टिप्पणियॉ क्रम सं. 14 (जे) में दर्शाए गए प्रकटीकरण के अनुसार तृतीय पक्षों से प्राप्तियां और परियोजनाओं / कार्यक्रमों के शेष राशि से संबंधित संपत्तियों पुष्टि के अधीन हैं। इसके अलावा, सीएजी द्वारा दिए गए दो दशकों और एसएआर प्रमाणीकरण में इस पद्धति का लगातार पालन किया गया है।

3. परामर्शी परियोजनाएँ (एल**4),** देयताएं और प्रावधान (एल**6)** और ट्रांजिट अकाउंट्स (एल**7)** में रू. **8,74,58,968** की माइनस शेष राशि शामिल है**,** जिन्हें गलती से प्राप्य के रूप में माना गया और संबंधित वर्तमान परिसंपत्तियों की ओर शेष राशि के रूप में हस्तांतरित किया गया है। संबंधित पार्टियों / प्रायोजन एजेंसियों से पुष्टि प्राप्त किए बिना प्राप्तियां/ व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय किया गया। इन माइनस अंत शेषों की समीक्षा नहीं की गई और तदनुसार गणना की गई।	कुछ परियोजनाएं घाटे में चल सकती हैं और परियोजनाओं के बंद होने तक संपत्ति के तहत नकारात्मक संतुलन दिखाना होगा। जैसा कि परियोजना शेष की प्रकृति (सकारात्मक / नकारात्मक) वर्ष-दर-वर्ष बदल सकती है, सभी परियोजनाएं प्रासंगिक अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह वास्तव में सभी परियोजनाओं की पूरी तस्वीर उनके शेष के प्रस्तुत करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक एल 3 अनुसूची में देनदारियों के तहत सकारात्मक शेष के खिलाफ इस तरह के नकारात्मक संतुलन स्थापित नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन परिसंपत्तियों के तहत दर्शाए जाते हैं जो एक सही लेखांकन समाधान है। लेखा टिप्पणियॉ क्रम सं. 14 (जे) में दर्शाए गए प्रकटीकरण के अनुसार तृतीय पक्षों से प्राप्तियां और परियोजनाओं / कार्यक्रमों के शेष राशि से संबंधित संपत्तियों पुष्टि के अधीन हैं। इसके अलावा, सीएजी द्वारा दिए गए दो दशकों और एसएआर प्रमाणीकरण में इस पद्धति का लगातार पालन किया गया है।
4. एनआईआरडीपीआर सामान्य खाता संख्या 62491365119 के संबंध में समय बाधित चेक संख्या रू. 10,21,860 को लेखा की समाप्ति से पहले लेखा पुस्तिका में नहीं लिखा गया है। इन विसंगतियों को बैंक के संबंध में तथा बैंक लेखा के नकद बकायों में लेखा समाधान किए जाने की आवश्यकता है।	लेखा परीक्षा टिप्पणी नोट की गई है और इस संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा के लिए सूचित किया जाएगा।
5. तुलन-पत्र में निवेश और वास्तविक निवेश विवरण के बीच निम्नलिखित विसंगतियों के समाधान की आवश्यकता है। **(**एसएआर में दी गई तालिका)	मूल वार्षिक लेखा 2018-19 को संशोधित किया गया था और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार आंकड़े शामिल किए गए इसलिए, तुलन-पत्र और वास्तविक निवेश विवरण में निवेश के बीच कोई विसंगतियां नहीं हैं।
6. ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) के संबंध में शैक्षणिक प्राप्तियां (अनुसूची -10) और रू. 79,79,317 और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम**,** रू.13,47,437 की राशि थी**,** जबकि पीजीडीआरडीएम के लिए शुल्क की वास्तविक प्राप्तियां थी**,** रू. 2,18,70,000 और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क रू. 16,47,000 थी**,** इसका समाधान किए जाने की जरूरत है।	प्राप्तियों में पूर्व अवधि की मदें भी शामिल है। प्राप्तियों के संकलन के लिए बैंक खातों में केवल वास्तविक लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। लेखा टिप्पणियां क्र.सं.14 (एच) आय और व्यय खाते में दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार – अनुसूची 13: विविध प्राप्तियों में पहले की अवधि से संबंधित प्राप्तियां भी शामिल हैं। अनुसूची को शामिल करने के लिए प्रकटीकरण को संशोधित किया गया है। जिसमें संशोधित वार्षिक खातों 2018-19 में आय और व्यय खाते में अनुसूची 9 से 13 सम्मिलित है।
7**.** भविष्य निधि की प्राप्तियां और भुगतान खाते के अनुसार**,** कर्मचारियों द्वारा अंशदान, 5,41,91,092 था**,** हालाँकि वास्तविक अंशदान रू. 5,31,26,462 था। रू. 10,**64,**64,630 के अंतर का समाधान किया जाना है।	इस संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा के लिए सूचित किया जाएगा।
8**.** नियत परिसंपत्तियों (अनुसूची **-5)** में 2017-18 के दौरान मरम्मत और रखरखाव के तहत रू. 24,87,107 / **-** का राजस्व व्यय शामिल है जिसे नियत परिसंपत्तियां भवन और अन्य निर्माण कार्य के अंतर्गत इसके परिणामस्वरूप नियत परिसंपत्तियों को बढ़ाकर और व्यय को रू. 0.25 करोड़ घटाकर दर्शाया गया है।	इस संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा के लिए सूचित किया जाएगा।
ग. सहायक अनुदान : कुल सहायक अनुदान राशि में से वर्ष के दौरान रू. 72.17 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (योजना वेतन रू. 52.17 करोड़, योजना सामान्य : रू. 20.00 करोड़) तथा रू. 37.33 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों के	सीएजी की टिप्पणियां उपयोग में न लायी गई आदिशेष की राशि रू. 135.78 करोड़ की राशि पर आधारित है उसे पूर्व वर्षों से आगे लाया गया। यद्यपि इस अंक का अंतराल आगामी नहीं है और सीएजी भी इस मुद्दे पर समाधान करने में असफल रहा है। तथ्यपरक स्थिति निम्न रूप में इस प्रकार है :

साथ पिछले वर्ष से संबंधित रू. 135.78 करोड़ की अव्यय शेष अर्थात् कुल रू. 245.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। संस्थान ने कुल रू. 79.32 करोड़ की राशि का उपयोग किया और 31 मार्च, 2018 तक 165.96 करोड़ की राशि अव्यय रही।	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त सहायक अनुदान राशि इस प्रकार है : वेतन : 52.17 करोड़ सामान्य : 20.00 करोड़ आंतरिक प्राप्तियां : 37.32 करोड़ कुल : 109.49 करोड़ व्यय : वेतन : 52.24 करोड़ सामान्य : 27.08 करोड़ कुल : 79.32 करोड़ निवल आय 30.18 करोड़ योजना अनुदान का प्रारंभिक शेष : 61.02 करोड़ ब्याज आय : 1.95 करोड़ व्यय : 13.53 करोड़ योजना पूंजी अनुदान का शेष : 49.44 करोड़ इस लेखापरीक्षा टिप्पणी में दर्शायी गई पिछले वर्ष से संबंधित रू. 135.78 करोड़ उपयोग में न लाई गई राशि की संख्या सही नहीं है। अत: उपरोक्त जानकारी लेखा की सही तस्वीर को प्रदर्शित करता हूँ।
घ. लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव कार्यवाही पैराग्राफ में दर्शाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव शून्य है।	कोई टिप्पणी नहीं
v. पूर्व पैराग्राफ में हमारे परीक्षणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते है कि तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित है वे लेखा पुस्तकों के समनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
vi. हमारी राय में तथा उत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय जानकारियों को लेखाकरण नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए एवं इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट में उदधृत अन्य मामलों एवं उपरोक्त दर्शायी गई महत्वपूर्ण जानकारियों, लेखाकरण सिद्धांतों लेखा टिप्पणियां जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत है की समरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। क. जहां तक तुलन - पत्र का संबंध है वह 31 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मामलों से संबंधित है। ख. उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए ***अधिशेष*** के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।	कोई टिप्पणी नहीं

❖ सामान्य एवं वेतन : रू. 52.24 करोड़ एवं पूंजी : रू. 27.08 कुल : रू. 79.32

परिशिष्ट

लेखा परीक्षा पैरा का सार	संस्थान का उत्तर
1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की समुचितता: वर्ष 2018-19 के लिए संस्थान की लेखापरीक्षा को चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा आयोजित किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
2. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की समुचितता: आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त है जिसका कारण - क. ग्रामीण विकास मंत्रालय / मंजूरीकृत परियोजनाओं से संबंधित निधिपोषण एजेन्सी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना संचित निधि का अंतरण करते हुए संस्थान की आंतरिक प्राप्तियों के रूप में समाप्त और निष्क्रिय परियोजना निधि के अव्ययीकृत बकायों का लेखा करण। ख. लेखा समाधान किए बिना पुराने और माईनस अंतशेष बकायों को आगे लाया गया जैसे कि प्रबंधन पत्र में दर्शाया गया है ; एवं ग. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलन में नही है जिसमें अन्य बातों के अलावा लेखा के विभिन्न शीर्षो के लेखाकरण हेतु अपनायी गई कार्य पद्धति तथा प्रत्येक लेखा शीर्ष हेतु अपनाई जाने वाली लेखाकरण कोड की सूची भी प्रचलन में नहीं है।	(क) टिप्पणी सही नही है क्योंकि परियोजनाएं वर्ष 2017-18 के दौरान समाप्त नहीं हुई है और 31.03.2018 को उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है। (ख) विशिष्ट उद्देश्य / परियोजना के लिए प्रायोजक द्वारा संस्थान के लिए प्रायोजित परियोजनाएं भुगतान परक कार्य है। परियोजना की सफल समाप्ति के बाद संस्थान ऐसी परियोजनाओं से बचत को बनाए रखने का हकदार है। कुछ मामलों में प्रायोगिक क्षेत्र स्थितियों के चलते परियोजनायें घाटे में चल सकती है क्योंकि मंजूर किया गया बजट अपर्याप्त हो सकता है एवं ऐसे घाटे की पूर्ति संस्थान द्वारा की जाएगी। प्रायोजित परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। सभी प्रायोजित परियोजनाओं की प्रगति एवं शेष तथा कार्यक्रम निधियों का अनुश्रवण मासिक आधार पर महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पृथक बहीखातों का रखरखाव किया जा रहा है ताकि बजट नियंत्रण और सही लेखाकरण को सुनिश्चित किया जा सके। (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है। उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।
3. सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की पद्धति : वर्ष 2018-19 के दौरान सावधि परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन को आयोजित किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं
4. सूचियों की भौतिक सत्यापन की पद्धति : वर्ष 2018 - 19 के दौरान सूचियों की भौतिक सत्यापन को पूर्ण किया गया और लेखापरीक्षा में कोई विसंगति नहीं पाई गई।	कोई टिप्पणी नहीं
5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता : संस्थान सांविधिक देयताओं का भुगतान नियमित करता है।	कोई टिप्पणी नहीं

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पारिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

राग्रीविपंरासं
NIRDPR
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचयती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद–५०० ०३०
www.nirdpr.org.in

TRAINING
& CAPACITY
BUILDING

RESEARCH
& CONSULTANCY

POLICY
FORMULATION
& ADVOCACY

TECHNOLOGY
TRANSFER

ACADEMIC
PROGRAMMES

INNOVATIVE
SKILLING
& LIVELIHOOD